IndiaCode

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, 2019

(2019 का अधिनियम संख्यांक 30)

[8 अगस्त, 2019]

ऐसी आयुर्विज्ञान शिक्षा पद्धति का, जो देश के सभी भागों में क्वालिटी और शक्य आयुर्विज्ञान शिक्षा तक पहुंच का सुधार करती हो, जिससे पर्याप्त और उच्च क्वालिटी वाले चिकित्सा वृत्तिकों की उपलब्धता सुनिश्चित करती हो, जो ऐसी साम्यपूर्ण और सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखरेख का संवर्धन करती हो, जिससे सामुदायिक स्वास्थ्य परिप्रेक्ष्य को बढ़ावा मिलता हो और सभी नागरिकों के लिए चिकित्सा वृत्तिकों की सेवाओं को सुगम बनाती हो; जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य लक्ष्यों का संवर्धन करती हो; जो चिकित्सा वृत्तिकों को उनके कार्य में नवीनतम आयुर्विज्ञान अनुसंधान अंगीकृत करने और अनुसंधान में योगदान करने के लिए प्रोत्साहित करती हो; जिसका एक उद्देश्य आयुर्विज्ञान संस्थाओं का आवधिक और पारदर्शी निधार्रण करना तथा भारत के लिए एक चिकित्सक रजिस्टर रखे जाने को सुकर बनाना और चिकित्सा सेवाओं के सभी पहलुओं में उच्च सदाचार मानकों को प्रवृत्त करती हो; जो परिवर्तनशील आवश्यकताओं को अंगीकार करने में सुनम्य हो और जिसमें एक प्रभावी शिकायत समाधान तंत्र हो, तथा उससे संबंधित और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, 2019 है।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रतिनिर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह इस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रतिनिर्देश है।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''स्वशासी बोर्ड'' से धारा 16 के अधीन गठित कोई भी स्वशासी बोर्ड अभिप्रेत है;

(ख) ''अध्यक्ष'' से राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अयोग का धारा 5 के अधीन नियुक्त अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ग) ''आयोग'' से धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अभिप्रेत है;

(घ) ''परिषद'' से धारा 11 के अधीन गठित आयुर्विज्ञान सलाहकार परिषद् अभिप्रेत है;

(ङ) ''सदाचार और चिकित्सक रजिस्ट्रीकरण बोर्ड'' से धारा 16 के अधीन गठित सदाचार और चिकित्सक रजिस्ट्रीकरण बोर्ड अभिप्रेत है;

(च) ''स्वास्थ्य विश्वविद्यालय'' से ऐसा विश्वविद्यालय अभिप्रेत है, जो औषध, आयुर्विज्ञान और स्वास्थ्य विज्ञान संबंधी अध्यापन में लगी संस्थाओं को संबंद्ध करने में विशेषज्ञता रखता हो और इसके अंतर्गत कोई आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय और स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय भी है;

(छ) ''अनुज्ञप्ति'' से धारा 33 की उपधारा (1) के अधीन चिकित्सा व्यवसाय के लिए दी गई कोई अनुज्ञप्ति अभिप्रेत है;

(ज) ''चिकित्सा निर्धारण और रेटिंग बोर्ड'' से धारा 16 के अधीन गठित चिकित्सा निधार्रण और रेटिंग बोर्ड अभिप्रेत है;

(झ) ''आयुर्विज्ञान संस्था'' से भारत में या भारत के बाहर की ऐसी संस्था अभिप्रेत है, जो आयुर्विज्ञान में डिग्रियां, डिप्लोमें या अनुज्ञप्तियां अनुदत्त करती है और इसके अंतर्गत संबद्ध महाविद्यालय और सम विश्वविद्यालय भी हैं;

(ञ) ''आयुर्विज्ञान'' से अपनी सभी शाखाओं में आधुनिक वैज्ञानिक आयुर्विज्ञान अभिप्रेत हैं और इसके अंतर्गत शल्य विज्ञान और प्रसूति विज्ञान भी हैं, किंतु इसके अंतर्गत पशु आयुर्विज्ञान और शल्यविज्ञान नहीं है;

(ट) ''सदस्य'' से आयोग का धारा 5 के अधीन नियुक्त कोई सदस्य अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत उसका अध्यक्ष भी है;

(ठ) ''राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड'' से सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन उस रूप में रजिस्ट्रीकृत कोई ऐसा निकाय अभिप्रेत है जो अनुसूची में निर्दिष्ट वृहत विशेषज्ञता और अति विशेषज्ञता अर्हताएं अनुदत करता है; 1860 का 21

(ड) ''राष्ट्रीय रजिस्टर'' से सदाचार और चिकित्सक रजिस्ट्रीकरण बोर्ड द्वारा धारा 31 के अधीन रखा जाने वाला राष्ट्रीय चिकित्सक रजिस्टर अभिप्रेत है;

(ढ) ''अधिसूचना'' से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है और ''अधिसूचित'' पद का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा;

(ण) ''स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा बोर्ड'' से धारा 16 के अधीन गठित स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा बोर्ड अभिप्रेत है;

(त) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(थ) ''अध्यक्ष'' से धारा 18 के अधीन नियुक्त स्वशासी बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(द) ''मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता'' से, यथास्थिति, धारा 35 या धारा 36 धारा 37 या धारा 40 के अधीन मान्यताप्राप्त कोई आयुर्विज्ञान अर्हता अभिप्रेत है;

(ध) ''विनियम'' से इस अधिनियम के अधीन आयोग द्वारा बनाए गए विनियम अभिप्रेत हैं;

(न) ''अनुसूची'' से इस अधिनियम की अनुसूची अभिप्रेत है;

(प) ''राज्य आयुर्विज्ञान परिषद्'' से किसी राज्य या संघ राज्य-क्षेत्र में आयुर्विज्ञान व्यवसायियों के व्यवसाय और रजिस्ट्रीकरण को विनियमित करने के लिए उस राज्य या संघ राज्य-क्षेत्र में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित आयुर्विज्ञान परिषद् अभिप्रेत है;

(फ) ''राज्य रजिस्टर'' से ऐसा रजिस्टर अभिप्रेत है, जो चिकित्सा व्यवसायियों के रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रखा जाता है;

(ब) ''स्नातकपूर्व आयुर्विज्ञान शिक्षा बोर्ड'' से धारा 16 के अधीन गठित स्नातकपूर्व आयुर्विज्ञान शिक्षा बोर्ड अभिप्रेत है;

(भ) ''विश्वविद्यालय'' का वही अर्थ होगा, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (च) में उसका है और इसके अंतर्गत स्वास्थ्य विश्वविद्यालय भी है।

1956 का 3

अध्याय 2

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग का गठन।

3. (1) केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग नाम से ज्ञात एक आयोग का, उसे इस अधिनियम के अधीन, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और सौंपे गए कृत्यों का निर्वहन करने के लिए गठन करेगी।

(2) आयोग शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा वाला पूर्वोक्त नाम का एक निगमित निकाय होगा, जिसे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जंगम और स्थावर, दोनों प्रकार की संपति का अर्जन, धारण और व्ययन करने की तथा संविदा करने की शक्ति होगी तथा उक्त नाम से वह वाद ला सकेगा और उस पर वाद लाया जा सकेगा।

(3) आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

आयोग की संरचना।

4. (1) आयोग में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, जो केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, अर्थात्:—

(क) अध्यक्ष;

(ख) दस पदेन सदस्य; और

(ग) बाईस अंशकालिक सदस्य।

(2) अध्यक्ष, असाधारण योग्यता, प्रशासनिक क्षमता और सत्यनिष्ठ ऐसा व्यक्ति होगा, जिसके पास किसी विश्वविद्यालय से आयुर्विज्ञान की किसी शाखा में स्नातकोत्तर डिग्री हो और जिसके पास आयुर्विज्ञान के क्षेत्र में कम से कम बीस वर्ष का अनुभव हो, जिसमें से कम से कम दस वर्ष का अनुभव आयुर्विज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी के रूप में हो।

(3) निम्नलिखित व्यक्ति आयोग के पदेन सदस्य होंगे, अर्थात्:—

(क) स्नातकपूर्व आयुर्विज्ञान शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष;

(ख) स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष;

(ग) चिकित्सा निर्धारण और रेटिंग बोर्ड का अध्यक्ष;

(घ) सदाचार और चिकित्सक रजिस्ट्रीकरण बोर्ड का अध्यक्ष;

(ङ) महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, महानिदेशालय, स्वास्थ्य सेवाएं, नई दिल्ली;

IndiaCode

(च) महानिदेशक, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद्;

(छ) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों में से किसी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला, निदेशक;

(ज) स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़; जवाहर लाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी; टाटा मेमोरियल अस्पताल, मुबई; पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी प्रादेशिक स्वास्थ्य और आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलांग; और अखिल भारतीय स्वच्छता और लोक स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता के निदेशकों में से केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले दो व्यक्ति; और

(झ) केंद्रीय सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने हेतु उस मंत्रालय द्वारा नामनिर्दिष्ट ऐसा व्यक्ति, जो अपर सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो।

(4) निम्नलिखित व्यक्ति आयोग के अंशकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाएंगे, अर्थात्:—

(क) योग्यता, सत्यनिष्ठ और प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से नियुक्त किए जाने वाले ऐसे तीन सदस्य, जिन्हें प्रबंधन, विधि, चिकित्सा सदाचार, स्वास्थ्य अनुसंधान, उपभोक्ता या रोगी अधिकार समर्थन, विज्ञान और प्रोद्योगिकी तथा अर्थशास्त्र सहित ऐसे क्षेत्रों में विशेष ज्ञान और वृत्तिक अनुभव हो;

(ख) आयुर्विज्ञान सलाहकार परिषद् में धारा 11 की उपधारा (2) के खंड (ग) और खंड (घ) के अधीन राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के नामनिर्देशितियों में से ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, दो वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किए जाने वाले छह सदस्य;

(ग) आयुर्विज्ञान सलाहकार परिषद् में धारा 11 की उपधारा (2) के खंड (ङ) के अधीन राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के नामनिर्देशितियों में से ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, दो वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किए जाने वाले पांच सदस्य।

स्पष्टीकरण—इस धारा और धारा 17 के प्रयोजनों के लिए, ''अग्रणी'' पद से कोई विभागाध्यक्ष या किसी संगठन का प्रमुख अभिप्रेत है।

अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए खोजबीन समिति।

5. (1) केंद्रीय सरकार, धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (क) में निर्दिष्ट अध्यक्ष, अंशकालिक सदस्यों और धारा 8 में निर्दिष्ट सचिव की नियुक्ति निम्नलिखित से मिलकर बनी खोजबीन समिति की सिफारिश के आधार पर करेगी,—

(क) मंत्रिमंडल सचिव-अध्यक्ष;

(ख) केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट तीन ऐसे विशेषज्ञ, जिनके पास आयुर्विज्ञान शिक्षा, लोक स्वास्थ्य शिक्षा और स्वास्थ्य अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्ट अर्हताएं और कम से कम पच्चीस वर्ष का अनुभव हो-सदस्य;

(ग) केंद्रीय सरकार द्वारा धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (ग) में निर्दिष्ट अंशकालिक सदस्यों में से ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, नामनिर्दिष्ट एक विशेषज्ञ-सदस्य;

(घ) केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक ऐसा व्यक्ति, जिनके पास प्रबंधन या विधि या अर्थशास्त्र या विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट अर्हताएं और कम से कम पच्चीस वर्ष का अनुभव हो-सदस्य;

(ङ) भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का भारसाधक सचिव-संयोजक सदस्य।

(2) केंद्रीय सरकार, कोई रिक्ति, जिसके अंतर्गत अध्यक्ष या किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने, पद त्याग कर देने या हटाए जाने के कारण भी है, होने के एक मास के भीतर या अध्यक्ष या सदस्य की पदावधि की समाप्ति से पूर्व तीन मास के भीतर रिक्ति के भरे जाने के लिए खोजबीन समिति को निर्देश करेगी।

(3) खोजबीन समिति, उसे निर्दिष्ट प्रत्येक रिक्ति के लिए कम से कम तीन नामों के एक पैनल की सिफारिश करेगी।

(4) खोजबीन समिति, आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए किसी व्यक्ति की सिफारिश करने के पूर्व, अपना यह समाधान करेगी कि ऐसे व्यक्ति का कोई ऐसा वित्तीय या अन्य हित नहीं है, जिससे अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो।

(5) अध्यक्ष या सदस्य की कोई नियुक्ति, खोजबीन समिति के सदस्य की किसी रिक्ति या अनुपस्थिति के कारण अविधिमान्य नहीं होगी।

(6) उपधारा (2) से उपधारा (5) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, खोजबीन समिति अपनी स्वयं की प्रक्रिया विनियमित कर सकेगी।

अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि और सेवा शर्तें।

6. (1) अध्यक्ष और धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (ख) और खंड (ग) के अधीन नियुक्त अंशकालिक सदस्यों से भिन्न सदस्य चार से अनधिक वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे और किसी विस्तार या पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे:

परंतु ऐसे व्यक्ति सत्तर वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने के पश्चात् पद धारण करने से प्रविरत हो जाएगा।

(2) किसी पदेन सदस्य की पदावधि तब तक बनी रहेगी जब तक वह उस पद को धारण करता है जिसके आधार पर वह ऐसा सदस्य है।

(3) जहां "पदेन सदस्य से भिन्न" कोई सदस्य आयोग की तीन क्रमवर्ती साधारण बैठकों से अनुपस्थित रहता है और ऐसी अनुपस्थिति आयोग की राय में किसी विधिमान्य कारण से नहीं है, वहां ऐसे सदस्य के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने अपना पद रिक्त कर दिया है।

(4) अध्यक्ष और सदस्य "पदेन सदस्य से भिन्न" को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो विहित की जाएं।

(5) अध्यक्ष या कोई सदस्य,—

(क) केंद्रीय सरकार को कम से कम तीन मास की लिखित सूचना देकर अपना पद त्याग सकेगा; या

(ख) उसे धारा 7 के उपबंधों के अनुसार उसके पद से हटाया जा सकेगा:

परंतु ऐसे व्यक्ति को तीन मास से पहले कर्तव्यों से मुक्त किया जा सकेगा या यदि केंद्रीय सरकार ऐसा विनिश्चय करती है तो वह तीन मास के पश्चात् तब तक पद पर बना रहेगा, जब तक किसी उत्तरवर्ती की नियुक्ति नहीं हो जाती है।

(6) आयोग का अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य, अपना पद ग्रहण करने के समय और अपना पद छोड़ने के समय अपनी आस्तियों और अपने दायित्वों की ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, घोषणा करेंगे और अपनी वृत्तिक और वाणिज्यिक कार्यव्यस्तता या अंतर्ग्रस्तता की भी घोषणा करेंगे।

(7) अध्यक्ष या कोई सदस्य, उस रूप में पद धारण करने से प्रविरत हो जाने के पश्चात्, ऐसा पद छोड़ने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए, किसी ऐसी प्राइवेट आयुर्विज्ञान संस्था में, जिसके किसी मामले में ऐसे अध्यक्ष या सदस्य द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से कोई कार्रवाई की गई है, किसी हैसियत में, जिसके अंतर्गत कोई परामर्शी या विशेषज्ञ भी है, कोई नियोजन स्वीकार नहीं करेगा:

परंतु इसमें की किसी बात का, ऐसे व्यक्ति को किसी निकाय या संस्था में, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित या अनुरक्षित आयुर्विज्ञान संस्था भी है, किसी नियोजन को स्वीकार करने से निवारित करने के रूप में अर्थ नहीं लगाया जाएगा:

परंतु यह और कि इसमें की कोई बात, केंद्रीय सरकार को, अध्यक्ष या किसी सदस्य को किसी ऐसी प्राइवेट आयुर्विज्ञान संस्था में, जिसके किसी मामले में ऐसे अध्यक्ष या सदस्य द्वारा कोई कार्रवाई की गई है,

किसी हैसियत में, जिसके अंतर्गत कोई परामर्शी या विशेषज्ञ भी है, कोई नियोजन स्वीकार करने हेतु अनुज्ञात करने से निवारित नहीं करेगी।

आयोग के अध्यक्ष और सदस्य का पद से हटाया जाना।

7. (1) केंद्रीय सरकार, आदेश द्वारा ऐसे अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को पद से हटा सकेगी,—

(क) जिसे दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है; या

(ख) जिसे ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है जिसमें केंद्रीय सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्ग्रस्त है; या

(ग) जो सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ हो गया है; या

(घ) जो विकृतचित का है और सक्षम न्यायालय द्वारा उसे ऐसा घोषित किया गया है; या

(ङ) जिसने ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया है जिसके कारण सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; या

(च) जिसने अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है जिससे उसके पद पर बने रहने से लोकहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

(2) किसी सदस्य को उपधारा (1) के खंड (ङ) और खंड (च) के अधीन पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक उसे मामले में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नही दे दिया गया है।

आयोग सचिव, विशेषज्ञों, वृत्तिकों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति।

8. (1) आयोग का एक सचिवालय होगा, जिसका प्रमुख सचिव होगा, जिसकी नियुक्ति धारा 5 के उपबंधों के अनुसार केंद्रीय सरकार द्वारा की जाएगी।

(2) आयोग का सचिव उत्कृष्ट योग्यता और सत्यनिष्ठा वाला ऐसा व्यक्ति होगा, जिसके पास प्रमाणित प्रशासनिक क्षमता, अर्हताएं और अनुभव हो, जो विहित की जाएं।

(3) सचिव की नियुक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा चार वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी और वह किसी विस्तार या पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

(4) सचिव आयोग के ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा, जो आयोग द्वारा उसे सौंपे जाए और जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(5) आयोग, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के दक्ष निर्वहन के लिए, केंद्रीय सरकार द्वारा सृजित पदों पर, उतने अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकेगा, जो वह आवश्यक समझे।

(6) आयोग के सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो विहित की जाएं।

(7) आयोग, विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार उतनी संख्या में सत्यनिष्ठ और उत्कृष्ट योग्यता वाले ऐसे विशेषज्ञों और वृत्तियों को, जिन्हें ऐसे क्षेत्रों में, जिसके अंतर्गत आयुर्विज्ञान शिक्षा, लोक स्वास्थ्य, प्रबंधन, स्वास्थ्य संबंधी अर्थशास्त्र, गुणता आश्वासन, रोगी पक्ष समर्थन, स्वास्थ्य अनुसंधान, विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी, प्रशासन, वित्त, लेखे और विधि भी है, विशेष ज्ञान और अनुभव है, नियुक्त कर सकेगा, वह अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में आयोग की सहायता के लिए आवश्यक समझे।

आयोग की बैठक, आदि।

9. (1) आयोग की बैठक, प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार, ऐसे समय और स्थान पर, होगी, जो अध्यक्ष द्वारा नियत किया जाए।

(2) अध्यक्ष, आयोग की बैठक की अध्यक्षता करेगा और यदि किसी कारण से अध्यक्ष आयोग की बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ है तो अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अन्य ऐसा सदस्य, जो किसी स्वशासी बोर्ड का अध्यक्ष रहा हो, बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(3) जब तक विनियमों द्वारा आयोग की बैठकों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में अन्यथा उपबंधित न किया जाए, गणपूर्ति अध्यक्ष सहित आयोग के सदस्यों की कुल संख्या के आधे से होगी और आयोग के सभी कृत्यों का विनिश्चय उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा और मत बराबर होने की दशा में अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उपधारा (2) के अधीन नामनिर्दिष्ट स्वशासी बोर्ड के अध्यक्ष का निर्णायक मत होगा।

(4) आयोग के प्रशासन का साधारण अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण अध्यक्ष में निहित होगा।

(5) आयोग द्वारा किए गए किसी कृत्य को उसके सदस्यों में किसी रिक्ति या उसके गठन में कोई त्रुटि होने के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

(6) कोई व्यक्ति जो, आयोग की धारा 30 की उपधारा (4) के अधीन दिए गए विनिश्चय के सिवाय किसी विनिश्चय से व्यथित है, ऐसे विनिश्चय की संसूचना के तीस दिन के भीतर ऐसे विनिश्चय के विरूद्ध केंद्रीय सरकार को अपील प्रस्तुत कर सकेगा।

आयोग की शक्तियां और कृत्य।

10. (1) आयोग, निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात:—

(क) आयुर्विज्ञान शिक्षा की उच्च क्वालिटी और उच्च स्तरमान को बनाए रखने के लिए नीतियां अधिकथित करना और इस निमित आवश्यक विनियम बनाना;

(ख) आयुर्विज्ञान संस्थाओं, आयुर्विज्ञान संबंधी अनुसंधानों और चिकित्सा वृत्तिकों को विनियमित करने के लिए नीतियां अधिकथित करना और इस निमित आवश्यक विनियम बनाना;

(ग) स्वास्थ्य संबंधी देखभाल, जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य और स्वास्थ्य संबंधी देखभाल से संबंधित अवसंरचना के लिए मानव संसाधन भी है, की आवश्यकताओं का पता लगाना और ऐसी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक कार्यनीति विकसित करना;

(घ) आयोग, स्वशासी बोर्डों और राज्य आयुर्विज्ञान परिषदों के उचित कार्यकरण का संवर्धन, समन्वय और मार्गदर्शक सिद्धांत विरचित करना और आवश्यक विनियम बनाकर नीतियां अधिकथित करना;

(ङ) स्वशासी बोर्डों के बीच समन्वय सुनिश्चित करना;

(च) इस अधिनियम के अधीन विरचित मार्गदर्शक सिद्धांत और बनाए गए विनियमों का राज्य चिकित्सा परिषदों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु ऐसे उपाय करना, जो आवश्यक हों;

(छ) स्वशासी बोर्डों के विनिश्चयों के संबंध में अपीलीय अधिकारिता का प्रयोग करना;

(ज) चिकित्सा व्यवसाय में वृत्तिक सदाचार के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए नीतियां और संहिता अधिकथित करना तथा चिकित्सा व्यवसायियों द्वारा देखभाल करने के दौरान शिष्टाचारी आचरण का संवर्धन करना;

(झ) ऐसे प्राइवेट आयुर्विज्ञान संस्थाओं और मानित विश्वविद्यालयों में के, जो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन शासित होते हैं, पचास प्रतिशत स्थानों की बाबत फीस और अन्य प्रभारों के अवधारण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत विरचित करना;

(ञ)ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करना, जो विहित किए जाएं।

(2) आयोग के सभी आदेश और विनिश्चय सचिव के हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणित होंगे।

(3) आयोग, सचिव को अपनी ऐसी प्रशासनिक और वित्तीय विषयों से संबंधित शक्तियां प्रत्यायोजित कर सकेगा, जो वह ठीक समझे।

(4) आयोग उप समितियां गठित कर सकेगा और ऐसी उप समितियों को अपनी ऐसी शक्तियां प्रत्यायोजित कर सकेगा, जो उन्हें विनिर्दिष्ट कार्य पूरा करने हेतु समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हों।

अध्याय 3

आयुर्विज्ञान सलाहकार परिषद्

आयुर्विज्ञान सलाहकार परिषद् का गठन और उसकी संरचना।

11. (1) केंद्रीय सरकार, आयुर्विज्ञान सलाहकार परिषद् नामक एक सलाहकार निकाय का गठन करेगी।

(2) परिषद्, अध्यक्ष और निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी,—

(क) आयोग का अध्यक्ष परिषद् का पदेन अध्यक्ष होगा;

(ख) आयोग का प्रत्येक सदस्य परिषद् का पदेन सदस्य होगा;

(ग) प्रत्येक राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए, उस राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला एक सदस्य, जो उस राज्य में किसी स्वास्थ्य विश्वविद्यालय का कुलपति हो;

(घ) प्रत्येक संघ राज्यक्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए, भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला एक सदस्य, जो उस संघ राज्यक्षेत्र में किसी स्वास्थ्य विश्वविद्यालय का कुलपति हो;

(ङ) प्रत्येक राज्य और प्रत्येक संघ राज्यक्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए, राज्य चिकित्सा परिषद् के निर्वाचित सदस्यों में से, उस राज्य चिकित्सा परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला एक सदस्य;

(च) अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग;

(छ) निदेशक, राष्ट्रीय निर्धारण और प्रत्यायन परिषद्;

(ज) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, भारतीय प्रबंध संस्थानों और भारतीय विज्ञान संस्थानों में निदेशक का पद धारण करने वाले व्यक्तियों में से केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले चार सदस्य:

परंतु यदि किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में कोई स्वास्थ्य विश्वविद्यालय नहीं है तो उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में के किसी ऐसे विश्वविद्यालय के, जिससे अधिकांश आयुर्विज्ञान महाविद्यालय सहबद्ध हैं, कुलपति को राज्य सरकार द्वारा या भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा:

परंतु यह और कि यदि किसी संघ राज्यक्षेत्र में कोई विश्वविद्यालय नहीं है तो गृह मंत्रालय किसी ऐसे सदस्य को नामनिर्दिष्ट करेगा, जिसके पास ऐसी आयुर्विज्ञान अर्हता और अनुभव हो, जो विहित किया जाए।

आयुर्विज्ञान सलाहकार परिषद् के कृत्य।

12. (1)परिषद् ऐसा प्राथमिक मंच होगा, जिसके माध्यम से राज्य और संध राज्यक्षेत्र आयोग के समक्ष अपने विचार और मामले रख सकेंगे और जो आयुर्विज्ञान शिक्षा और प्रशिक्षण से संबंधित समग्र कार्यसूची, नीति और कार्य को आकार प्रदान करने में सहायक हो सकेंगे।

(2) परिषद्, आयोग को आयुर्विज्ञान शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान से संबंधित सभी विषयों के न्यूनतम स्तरमान के अवधारण और उसे बनाए रखने के लिए तथा उन्हें बनाए रखने के लिए समन्वय हेतु उपायों पर सलाह देगा।

(3) परिषद्, आयोग को आयुर्विज्ञान शिक्षा के प्रति न्यायोचित पहुंच की अभिवृद्धि करने संबंधी उपायों पर सलाह देगा।

आयुर्विज्ञान सलाहकार परिषद् की बैठकें।

13. (1) परिषद् की बैठक, वर्ष में कम से कम दो बार, ऐसे समय और स्थान पर, जो अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किया जाए, होगी।

(2) अध्यक्ष, परिषद् की बैठक की अध्यक्षता करेगा और यदि किसी कारण से अध्यक्ष परिषद् की बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ है तो, कोई अन्य सदस्य, जो अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए, बैठक की अध्यक्षता करेगा।

IndiaCode

(3) जब तक विनियमों द्वारा प्रक्रिया अन्यथा विहित न की जाए, गणपूर्ति परिषद् के अध्यक्ष सहित पचास प्रतिशत सदस्यों से होगी और परिषद् के सभी कार्यों का विनिश्चय उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से होगा।

अध्याय 4

राष्ट्रीय परीक्षा

राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा।

14. (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन शासित होने वाली सभी आयुर्विज्ञान संस्थाओ में, स्नातकपूर्व आयुर्विज्ञान शिक्षा और स्नातकोत्तर अतिविशेषज्ञता आयुर्विज्ञान शिक्षा के लिए प्रवेश हेतु एक समान राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा होगी:

परंतु स्नातकपर्वू चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए समान राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन शासित सभी आयुर्विज्ञान संस्थाओं को भी लागू होगी।

(2) आयोग, ऐसे अभिहित प्राधिकारी के माध्यम से और ऐसी रीति में, अंग्रेजी और ऐसी अन्य भाषाओं में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा का संचालन करेगा।

(3) आयोग, विनियमों द्वारा, ऐसी आयुर्विज्ञान संस्थाओं में, जो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन शासित होती हैं, स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर स्थानों पर प्रवेश के लिए अभिहित प्राधिकारी द्वारा सामान्य काउंसलिंग करने की रीति विनिर्दिष्ट करेगा:

परंतु अखिल भारतीय स्थानों के लिए सामान्य काउंसलिंग केंद्रीय सरकार का अभिहित प्राधिकारी संचालित करेगा और राज्य स्तर के स्थानों के लिए सामान्य काउंसलिंग राज्य सरकार का अभिहित प्राधिकारी संचालित करेगा।

राष्ट्रीय निर्गम परीक्षा।

15. (1) चिकित्सा व्यवसायियों के रूप में चिकित्सा व्यवसाय करने हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए और, यथास्थिति, राज्य रजिस्टर या राष्ट्रीय रजिस्टर के नामांकन हेतु एक समान राष्ट्रीय निर्गम परीक्षा नामक अंतिम वर्ष स्नातक पूर्व परीक्षा आयोजित की जाएगी।

(2) आयोग, ऐसे अभिहीत प्राधिकारी के माध्यम से और ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, राष्ट्रीय निर्गम परीक्षा का संचालन करेगा।

(3) राष्ट्रीय वहिर्गमन परीक्षा, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से तीन वर्ष के भीतर, उस तारीख से, जो केंद्रीय सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, नियत की जाए, प्रचालित हो जाएगी।

(4) विदेशी आयुर्विज्ञान अर्हता वाले किसी व्यक्ति को, चिकित्सा व्यवसायी के रूप में चिकित्सा व्यवसाय करने हेतु अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करने के प्रयोजन के लिए और यथास्थिति, राज्य रजिस्टर या राष्ट्रीय रजिस्टर में ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, नामांकन हेतु राष्ट्रीय वहिर्गमन परीक्षा अर्हित करनी होगी।

(5) राष्ट्रीय निर्गम परीक्षा, ऐसी आयुर्विज्ञान संस्थाओं में, जो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन शासित होती हैं, स्नातकोत्तर बोर्ड वृहत विशेषज्ञता आयुर्विज्ञान शिक्षा हेतु प्रवेश का आधार होगी।

(6) आयोग, विनियमों द्वारा, उपधारा (5) में निर्दिष्ट आयुर्विज्ञान संस्थाओं में स्नातकोत्तर वृहत विशेषज्ञता स्थानों के लिए प्रवेश हेतु अभिहित प्राधिकारी द्वारा समान काउंसलिंग करने की रीति विनिर्दिष्ट करेगा:

परंतु अखिल भारतीय स्थानों के लिए सामान्य काउंसलिंग केंद्रीय सरकार का अभिहित प्राधिकारी संचालित करेगा और राज्य स्तर के स्थानों के लिए सामान्य काउंसलिंग राज्य सरकार का अभिहित प्राधिकारी संचालित करेगा।

अध्याय 5

स्वशासी बोर्ड

स्वशासी बोर्डों का गठन।

16. (1) केंद्रीय सरकार, आयोग के संपूर्ण पर्यवेक्षणाधीन अधिसूचना द्वारा, निम्नलिखित स्वशासी बोर्डों का, इस अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्डों को सौंपे गए कृत्यों का पालन करने के लिए गठन करेगी, अर्थात्:—

(क) स्नातकपूर्व आयुर्विज्ञान शिक्षा बोर्ड;

(ख) स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा बोर्ड;

(ग) चिकित्सा निर्धारण और रेटिंग बोर्ड; और

(घ) सदाचार और चिकित्सक रजिस्ट्रीकरण बोर्ड।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक बोर्ड एक स्वशासी निकाय होगा, जो आयोग द्वारा बनाए गए विनियमों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के अधीन अपने कार्यों का पालन करेगा।

स्वशासी बोर्डों की संरचना।

17. (1) प्रत्येक स्वशासी बोर्ड, एक अध्यक्ष और दो पूर्णकालिक सदस्यों और दो अंशकालिक सदस्यों से मिलकर बनेगा।

(2) प्रत्येक स्वशासी बोर्ड का अध्यक्ष, स्नातकपूर्व आयुर्विज्ञान शिक्षा बोर्ड और स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा बोर्ड के तीन सदस्य (जिसके अंतर्गत एक अंशकालिक सदस्य है) तथा चिकित्सा निर्धारण और रेटिंग बोर्ड तथा सदाचार और चिकित्सक रजिस्ट्रीकरण बोर्ड में के प्रत्येक के दो सदस्य (जिसके अंतर्गत एक अंशकालिक सदस्य है) उत्कृष्ट योग्यता, साबित प्रशासनिक क्षमता और सत्यनिष्ठा वाले ऐसे व्यक्ति होंगे, जिनके पास किसी विश्वविद्यालय से आयुर्विज्ञान की किसी विद्याशाखा में स्नातकोत्तर डिग्री हो और जिन्हें ऐसे क्षेत्र में कम से कम पन्द्रह वर्ष का अनुभव हो, जिसमें से कम से कम सात वर्ष का अनुभव आयुर्विज्ञान शिक्षा, लोक स्वास्थ्य, सामुदायिक औषधि या स्वास्थ्य अनुसंधान के क्षेत्र में अग्रणी के रूप में होगा।

(3) चिकित्सा निर्धारण और रेटिंग बोर्ड का तीसरा सदस्य, उत्कृष्ट योग्यता और सत्यनिष्ठा रखने वाला व्यक्ति होगा, जिसके पास प्रबंध, क्वालिटी आश्वासन, विधि या विज्ञान और प्रौद्योगिकी की किसी विद्या में किसी विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि और ऐसे क्षेत्र में पन्द्रह वर्ष से अन्यून अनुभव होगा, जिसमें कम से कम सात वर्ष का अनुभव अग्रणी के रूप में होगा।

(4) सदाचार और चिकित्सा रजिस्ट्रीकरण बोर्ड का तीसरा सदस्य चिकित्सा सदाचार का साबित अभिलेख रखने वाला, उत्कृष्ट योग्यता रखने वाला, ऐसा व्यक्ति या ऐसा उत्कृष्ट व्यक्ति होगा, जिसके पास क्वालिटी आश्वासन, लोक स्वास्थ्य, विधि या रोगी समर्थन की किसी विद्या में किसी विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि और ऐसे क्षेत्र में पन्द्रह वर्ष से अन्यून अनुभव होगा, जिसमें कम से कम सात वर्ष का अनुभव अग्रणी के रूप में होगा।

(5) प्रत्येक स्वशासी बोर्ड का चौथा सदस्य, जो अंशकालिक सदस्य है, राज्य चिकित्सा परिषद् के निर्वाचित सदस्यों में से, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, चुना जाएगा।

अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए खोजबीन समिति।

18. केन्द्रीय सरकार, धारा 17 की उपधारा (5) में निर्दिष्ट सदस्यों के सिवाए, स्वशासी बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, धारा 5 के अधीन गठित खोजबीन समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर, उस धारा में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार करेगी।

अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि और सेवा शर्तें।

19. (1) प्रत्येक स्वशासी बोर्ड का अध्यक्ष और सदस्य (अंशकालिक सदस्यों से भिन्न) चार वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए पद धारण करेंगे और किसी विस्तार या पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे:

परंतु प्रत्येक स्वशासी बोर्ड के अंशकालिक सदस्य दो वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे:

परंतु यह और कि कोई सदस्य सत्तर वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने के पश्चात् पद धारण करने से प्रविरत हो जाएगा।

(2) स्वशासी बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों (अंशकालिक सदस्यों से भिन्न) को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो विहित की जाएं:

परंतु प्रत्येक स्वशासी बोर्ड के अंशकालिक सदस्य, ऐसे भत्तों के हकदार होंगे, जो विहित किए जाएं।

(3) आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के निबंधनों और शर्तों से संबंधित धारा 6 की उपधारा (3), उपधारा (5), उपधारा (6), उपधारा (7) और उपधारा (8) में के और उन्हें पद से हटाए जाने से संबंधित धारा 7 में के अंतर्विष्ट उपबंध स्वशासी बोर्डों के अध्यक्ष और सदस्यों को भी लागू होंगे।

विशेषज्ञों की सलाहकार समिति।

20. (1) सदाचार और चिकित्सक रजिस्ट्रीकरण बोर्ड के सिवाय प्रत्येक स्वशासी बोर्ड की सहायता विशेषज्ञों की ऐसी सलाहकार समितियों द्वारा की जाएगी, जो इस अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्डों के कृत्यों के दक्ष निर्वहन के लिए आयोग द्वारा गठित की जाएं।

(2) सदाचार और चिकित्सक रजिस्ट्रीकरण बोर्ड की सहायता विशेषज्ञों की ऐसी सदाचार समितियों द्वारा की जाएगी, जो इस अधिनियम के अधीन उस बोर्ड के कृत्यों के दक्ष निर्वहन के लिए आयोग द्वारा गठित की जाएं।

स्वशासी बोर्डों के कर्मचारिवृंद।

21. धारा 8 के अधीन नियुक्त विशेषज्ञ वृत्तिक अधिकारी और अन्य कर्मचारी स्वशासी बोर्ड को ऐसी संख्या में और ऐसी रीति में उपलब्ध कराए जाएंगे, जो आयोग द्वारा विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

स्वशासी बोर्डों की बैठकें, आदि।

22. (1) प्रत्येक स्वशासी बोर्ड प्रत्येक मास में कम से कम एक बार ऐसे समय और स्थान पर बैठक करेगा जो वह नियत करे।

(2) स्वशासी बोर्ड के सभी विनिश्चय, अध्यक्ष और सदस्यों के बहुमत द्वारा किए जाएंगे।

(3) धारा 28 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई व्यक्ति, जो किसी स्वशासी बोर्ड के किसी विनिश्चय से व्यथित है, ऐसे विनिश्चय की संसूचना के साठ दिन के भीतर ऐसे विनिश्चय के विरूद्ध आयोग को अपील कर सकेगा।

स्वशासी बोर्ड की शक्तियों और शक्तियों का प्रत्यायोजन।

23. (1) प्रत्येक स्वशासी बोर्ड के अध्यक्ष को ऐसी प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां होंगी, जो आयोग द्वारा दक्ष रूप से कार्य करने के लिए ऐसे बोर्ड को समर्थ बनाने हेतु उसे प्रत्यायोजित की जाएं।

(2) किसी स्वशासी बोर्ड का अध्यक्ष, उस बोर्ड के किसी सदस्य या किसी अधिकारी को अपनी शक्तियों में से किन्हीं शक्तियों का और प्रत्यायोजन कर सकेगा।

स्नातकपूर्व आयुर्विज्ञान शिक्षा बोर्ड की शक्तियां और कृत्य।

24. (1) स्नातकपूर्व आयुर्विज्ञान शिक्षा बोर्ड निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात्:—

(क) स्नातकपूर्व स्तर पर आयुर्विज्ञान शिक्षा के स्तरमानों का अवधारण और उससे संबंधित सभी पहलुओं की निगरानी करना;

(ख) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार स्नातकपूर्व स्तर पर गतिशील पाठ्यचर्या पर आधारित क्षमता विकसित करना;

(ग) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों के उपबंधों के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं, सामुदायिक आयुर्विज्ञान और कौटुम्बिक आयुर्विज्ञान आवश्यकताओं का, ऐसे क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी देखरेख सुनिश्चित करने के लिए पता लगाने हेतु गतिशील पाठ्यचर्या पर आधारित क्षमता विकसित करना;

(घ) देश की आवश्यकताओं और वैश्विक मानकों को ध्यान में रखते हुए, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों के उपबंधों के अनुसार स्नातकपूर्व पाठ्यक्रमों में शिक्षण हेतु आयुर्विज्ञान संस्थाओं की स्थापना के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत विरचित करना;

IndiaCode

(ङ) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों के उपबंधों के अनुसार आयुर्विज्ञान संस्थाओं में, स्थानीय स्तरों पर सृजनता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रमों और परीक्षाओं के संचालन के लिए, जिसके अंतर्गत अलग-अलग संस्थाओं द्वारा कुछ पाठ्यक्रमों को डिजाइन करना भी है, न्यूनतम अपेक्षाओं और स्तरमानों का अवधारण करना;

(च) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों के उपबंधों के अनुसार स्नातकपूर्व आयुर्विज्ञान शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए आयुर्विज्ञान संस्थाओं में की अवसंरचना, संकाय और शिक्षा की क्वालिटी के लिए स्तरमानों और मानकों का अवधारण करना;

(छ) स्नातकपूर्व पाठ्यक्रमों के अध्यापन के लिए संकाय सदस्यों के विकास और प्रशिक्षण को सुकर बनाना;

(ज) स्नातकपूर्व आयुर्विज्ञान शिक्षा से संबंधित अनुसंधान और अंतरराष्ट्रीय छात्र और संकाय के आदान-प्रदान संबंधी कार्यक्रमों को सुकर बनाना;

(झ) आयुर्विज्ञान संस्थाओं द्वारा इलैक्ट्रानिक रूप से या अन्यथा, उनके ऐसे कृत्यों के संबंध में, जो छात्रों, संकाय, आयोग और केंद्रीय सरकार सहित सभी पणधारियों के हित से संबंधित हैं, अनिवार्य वार्षिक प्रकटन के लिए मानक विनिर्दिष्ट करना;

(ञ) स्नातकपूर्व स्तर पर आयुर्विज्ञान संबंधी किसी अर्हता को मान्यता देना।

(2) स्नातकपूर्व आयुर्विज्ञान शिक्षा बोर्ड, अपने कृत्यों के निर्वहन में आयोग को ऐसी सिफारिशें कर सकेगा और ऐसे निदेशों की वांछा कर सकेगा, जो वह आवश्यक समझे।

स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा बोर्ड की शक्तियां और कृत्य।

25. (1) स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा बोर्ड निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात्:—

(क) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार स्नातकोत्तर स्तर पर और अति विशेषज्ञता स्तर पर आयुर्विज्ञान शिक्षा के स्तरमान का अवधारण करना और उससे संबंधित सभी पहलुओं की निगरानी करना;

(ख) स्वास्थ्य संबंधी देखरेख करने, आयुर्विज्ञान शिक्षा देने और आयुर्विज्ञान संबंधी अनुसंधान करने हेतु स्नातकोत्तरों और अति विशेषज्ञता विशेषज्ञों के बीच समुचित कौशल, ज्ञान, अभिवृति, मूल्य और सदाचार विकसित करने की दृष्टि से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार स्नातकोत्तर स्तर पर और अति विशेषज्ञता स्तर पर गतिशील पाठ्यचर्या पर आधारित क्षमता विकसित करना;

(ग) देश की आवश्यकताओं और सार्वत्रिक मानों को ध्यान में रखते हुए, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार स्नातकोत्तर और अति विशेषज्ञता पाठ्यक्रमों में शिक्षण हेतु आयुर्विज्ञान संस्थाओं की स्थापना के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत विरचित करना;

(घ) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार आयुर्विज्ञान संस्थाओं में स्नातकोत्तर और अति विशेषज्ञता पाठ्यक्रमों और परीक्षाओं के संचालन के लिए न्यूनतम अपेक्षाओं और स्तरमानों का अवधारण करना;

(ङ) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार स्नातकोत्तर और अति विशेषज्ञता आयुर्विज्ञान शिक्षा के संचालन के लिए आयुर्विज्ञान संस्थाओं में की अवसंरचना, संकाय और शिक्षा की क्वालिटी के लिए स्तरमानों और मानकों का अवधारण करना;

(च) स्नातकोत्तर और अति विशेषज्ञता पाठ्यक्रमों के अध्यापन के लिए संकाय सदस्यों के विकास और प्रशिक्षण को सुकर बनाना;

(छ) स्नातकोत्तर और अति विशेषज्ञता आयुर्विज्ञान शिक्षा से संबंधित अनुसंधान और अंतरराष्ट्रीय छात्र और संकाय सदस्य के आदान-प्रदान संबंधी कार्यक्रमों को सुकर बनाना;

(ज) आयुर्विज्ञान संस्थाओं द्वारा इलैक्ट्रानिक रूप से या अन्यथा, उनके ऐसे कृत्यों के संबंध

में, जो छात्रों, संकाय सदस्यों, आयोग और केंद्रीय सरकार सहित सभी पणधारियों के हित से संबंधित हैं, अनिवार्य वार्षिक प्रकटन के लिए मानक विनिर्दिष्ट करना;

(झ) स्नातकोत्तर और अति विशेषज्ञता स्तर पर आयुर्विज्ञान संबंधी किन्हीं अर्हताओं को मान्यता देना;

(ञ) कुटुंब औषधियों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का संवर्धन करना और उसे सुकर बनाना।

(2) स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा बोर्ड, अपने कृत्यों के निर्वहन में आयोग को ऐसी सिफारिशें कर सकेगा और ऐसे निदेशों की ईप्सा कर सकेगा, जो वह आवश्यक समझे।

चिकित्सा निर्धारण और रेटिंग बोर्ड की शक्तियां और कृत्य।

26. (1) चिकित्सा निर्धारण और रेटिंग बोर्ड निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात्:—

(क) आयुर्विज्ञान संस्थाओं का, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार, यथास्थिति, स्नातकपूर्व आयुर्विज्ञान शिक्षा बोर्ड या स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा बोर्ड द्वारा अधिकथित स्तरमानों के अनुसार उनके अनुपालन के निर्धारण और रेटिंग के लिए प्रक्रिया अवधारित करना;

(ख) धारा 28 के उपबंधों के अनुसार किसी नए आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना के लिए या कोई स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के लिए, या स्थानों की संख्या बढ़ाने के लिए अनुमति देना;

(ग) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार आयुर्विज्ञान संस्थाओं के निर्धारण और रेटिंग के लिए ऐसी संस्थाओं का निरीक्षण करना:

परंतु चिकित्सा निर्धारण और रेटिंग बोर्ड, यदि आवश्यक समझे, आयुर्विज्ञान संस्थाओं के निर्धारण और रेटिंग हेतु ऐसी संस्थाओं का निरीक्षण करने के लिए किसी अन्य पक्षकार अभिकरण या व्यक्तियों को भाड़े पर ले सकेगा या प्राधिकृत कर सकेगा:

परंतु यह और कि जहां चिकित्सा निर्धारण और रेटिंग बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य पक्षकार अभिकरण या व्यक्तियों द्वारा आयुर्विज्ञान संस्थाओं का निरीक्षण किया जाता है, वहां ऐसी संस्थाओं पर यह बाध्यकारी होगा कि वह ऐसे अभिकरण या व्यक्ति को पहुंच उपलब्ध करवाए;

(घ) सभी आयुर्विज्ञान संस्थाओं का, उनके प्रारंभ होने की ऐसी अवधि के भीतर और उसके पश्चात् प्रत्येक वर्ष, ऐसे समय पर और ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, निर्धारण और रेटिंग करना या निर्धारण और रेटिंग करने के लिए स्वतंत्र रेटिंग अभिकरणों को पैनलित करना;

(ङ) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार नियमित अंतरालों पर आयुर्विज्ञान संस्थाओं के निर्धारण और रेटिंग को उसकी वेबसाइट पर या सार्वजनिक पटल पर उपलब्ध करना;

(च) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार, यथास्थिति, स्नातकपूर्व आयुर्विज्ञान शिक्षा बोर्ड या स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट न्यूनतम आवश्यक स्तरमानों को बनाए रखने में असफल रहने के लिए किसी आयुर्विज्ञान संस्था के विरुद्ध ऐसे उपाय करना, जिसके अंतर्गत चेतावनी देना, धनीय शास्ति का अधिरोपण, प्रवेश कम करना या रोकना और आयोग का मान्यता वापस लेने की सिफारिश करना भी है।

(2) चिकित्सा निर्धारण और रेटिंग बोर्ड, अपने कृत्यों के निर्वहन में आयोग को ऐसी सिफारिशें कर सकेगा और ऐसे निदेशों की ईप्सा कर सकेगा, जो वह आवश्यक समझे।

सदाचार और चिकित्सक रजिस्ट्रीकरण बोर्ड की शक्तियां और कृत्य।

27. (1) सदाचार और चिकित्सक रजिस्ट्रीकरण बोर्ड निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात्:—

(क) धारा 31 के उपबंधों के अनुसार सभी अनुज्ञप्त चिकित्सा व्यवसायियों का एक राष्ट्रीय रजिस्टर रखना;

(ख) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार वृत्तिक आचरण को विनियमित करना और चिकित्सा सदाचार का संवर्धन करना :

परंतु उस दशा में, जहां राज्य चिकित्सा परिषद् को संबंधित राज्य अधिनियमों के अधीन चिकित्सा व्यवसायियों द्वारा वृत्तिक और सदाचार संबंधी अवचार के संबंध में अनुशासनिक कार्रवाइयां करने की शक्ति प्रदत्त की गई है, सदाचार और चिकित्सक रजिस्ट्रीकरण बोर्ड, राज्य चिकित्सा परिषद् के माध्यम से वृत्तिक और सदाचार संबंधी आचार संहिता के अनुपालन को सुनिश्चित करेगा;

(ग) चिकित्सा व्यवसायियों और वृत्तिकों के आचरण को प्रभावी रूप से संवर्धित और विनियमित करने के लिए राज्य चिकित्सा परिषद् के साथ सतत् संपर्क बनाए रखने के लिए तंत्र विकसित करना;

(घ) धारा 30 के अधीन किसी राज्य चिकित्सा परिषद् द्वारा की गई कार्रवाइयों के संबंध में अपीलीय अधिकारिता का प्रयोग करना।

(2) सदाचार और चिकित्सक रजिस्ट्रीकरण बोर्ड, अपने कृत्यों के निर्वहन में आयोग को ऐसी सिफारिशें कर सकेगा और ऐसे निदेशों की ईप्सा कर सकेगा, जो वह आवश्यक समझे।

नए आयुर्विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना के लिए अनुज्ञा।

28. (1) कोई व्यक्ति, चिकित्सा निर्धारण और रेटिंग बोर्ड की पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त किए बिना किसी नए आयुर्विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना नहीं करेगा या कोई अन्य स्नातकोत्तर प्रारंभ नहीं करेगा या स्थानों की संख्या में वृद्धि नहीं करेगा।

(2) कोई व्यक्ति, उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा अभिप्राप्त करने के प्रयोजनों के लिए ऐसी विशिष्टियां अंतर्विष्ट करते हुए, ऐसे प्ररूप में, ऐसी फीस के साथ और ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, चिकित्सा निर्धारण और रेटिंग बोर्ड को स्कीम प्रस्तुत कर सकेगा।

(3) चिकित्सा निर्धारण और रेटिंग बोर्ड, धारा 29 में विनिर्दिष्ट मानदंडों को ध्यान में रखते हुए, उपधारा (2) के अधीन प्राप्त स्कीम पर विचार करेगा और ऐसी प्राप्ति की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर ऐसी स्कीम का अनुमोदन या अननुमोदन करेगा:

परंतु ऐसी स्कीम का अननुमोदन करने के पूर्व संबंधित व्यक्ति को त्रुटियां, यदि कोई हों, सुधार का एक अवसर दिया जाएगा।

(4) जहां उपधारा (3) के अधीन किसी स्कीम का अनुमोदन कर दिया जाता है, वहां ऐसा अनुमोदन उपधारा (1) के अधीन नए आयुर्विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना के लिए अनुज्ञा होगी।

(5) जहां उपधारा (3) के अधीन किसी स्कीम का अननुमोदन किया जाता है या जहां उपधारा (1) के अधीन कोई स्कीम प्रस्तुत करने के छह मास के भीतर कोई विनिश्चय नहीं किया जाता है, वहां संबद्ध व्यक्ति, ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, यथास्थिति, ऐसे अननुमोदन के पन्द्रह दिन के भीतर या छह मास बीत जाने पर स्कीम के अनुमोदन के लिए आयोग को अपील कर सकेगा।

(6) आयोग, उपधारा (5) के अधीन प्राप्त अपील का विनिश्चय, अपील प्राप्त होने की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर करेगा और यदि आयोग स्कीम का अनुमोदन कर देता है, तो ऐसा अनुमोदन नया आयुर्विज्ञान महाविद्यालय स्थापित करने के लिए उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा होगी और यदि आयोग स्कीम का अननुमोदन कर देता है या विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर विनिश्चय करने में असफल रहता है तो संबंद्ध व्यक्ति, यथास्थिति, ऐसे अननुमोदन की संसूचना के तीस दिन के भीतर या विनिर्दिष्ट अवधि बीत जाने पर केंद्रीय सरकार को दूसरी अपील प्रस्तुत कर सकेगा।

(7) चिकित्सा निर्धारण और रेटिंग बोर्ड, किसी सत्यनिष्ठ और चिकित्सा समय प्रत्यक्षत: या

व्यवसाय में अनुभवी किसी भी अन्य विशेषज्ञ के माध्यम से और बिना किसी पूर्व सूचना के, किसी आयुर्विज्ञान संस्था का मूल्यांकन और निर्धारण करा सकेगा और ऐसी आयुर्विज्ञान संस्था के किसी कार्यपालन, स्तरमान और निर्देशचिन्हों का निर्धारण और मूल्यांकन कर सकेगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, ''व्यक्ति'' पद के अंतर्गत कोई विश्वविद्यालय, न्यास या व्यक्तियों का कोई अन्य संगम या व्यष्टि निकाय भी है, किन्तु इसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार नहीं है।

स्कीम के अनुमोदन या अननुमोदन के लिए मानदंड।

29. धारा 28 के अधीन स्कीम का अनुमोदन या अननुमोदन करते समय, यथास्थिति, चिकित्सा निर्धारण और रेटिंग बोर्ड या आयोग निम्नलिखित मानदंडों पर विचार करेगा, अर्थात्:—

(क) वित्तीय संसाधनों की पर्याप्तता;

(ख) क्या आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के समुचित कार्यकरण को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त शैक्षणिक संकाय और अन्य आवश्यक सुविधाओं का उपबंध किया गया है या उनका स्कीम में विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर उपबंध कर दिया जाएगा;

(ग) क्या पर्याप्त चिकित्सालय सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई है या उनका स्कीम में विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर उपबंध किया जाएगा;

(घ) ऐसे अन्य कारक, जो विहित किए जाएं:

परंतु केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के अधीन रहते हुए, ऐसे आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों के लिए, जो ऐसे क्षेत्रों में स्थापित हैं, जो विनियमों में विनिर्दिष्ट किए जाएं, मानदंड में छूट दी जा सकेगी।

राज्य चिकित्सा परिषद्।

30. (1) राज्य सरकार, उस राज्य में यदि वहां कोई चिकित्सा परिषद् विद्यमान नहीं है तो, इस अधिनियम के प्रारंभ के तीन वर्ष के भीतर उस राज्य में चिकित्सा परिषद् स्थापित करने के लिए आवश्यक उपाय करेगी।

(2) जहां कोई राज्य अधिनियम, राज्य चिकित्सा परिषद् को किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी या वत्तिक द्वारा किए गए किसी वृत्तिक या सदाचार संबंधी अवचार के संबंध में अनुशासनिक कार्रवाइयां करने के लिए शक्ति प्रदत्त करता है, वहां राज्य चिकित्सा परिषद् इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों और विरचित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार कार्य करेगी:

परंतु उस समय तक जब तक किसी राज्य में राज्य चिकित्सा परिषद् की स्थापना नहीं हो जाती है, सदाचार और चिकित्सक रजिस्ट्रीकरण बोर्ड, ऐसी प्रक्रिया के अनुसार, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, उस राज्य में के किसी रजिस्टीकृत चिकित्सा व्यवसायी या वत्तिक के विरुद्ध किसी वृत्तिक या सदाचार से संबंधित अवचार के लिए परिवाद और शिकायतें प्राप्त करेगा:

परंतु यह और कि, यथास्थिति, सदाचार और चिकित्सक रजिस्ट्रीकरण बोर्ड या राज्य चिकित्सा परिषद् ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्रवाई, जिसके अंतगर्त किसी आर्थिक शास्ति का अधिरोपण किया जाना भी है, किए से पूर्व संबद्ध चिकित्सा व्यवसायी या वृत्तिक को सुनवाई का अवसर देगी।

(3) कोई चिकित्सा व्यवसायी या वृत्तिक, जो उपधारा (2) के अधीन राज्य चिकित्सा परिषद् द्वारा की गई किसी कार्रवाई से व्यथित है, ऐसी कार्रवाई के विरुद्ध सदाचार और चिकित्सक रजिस्ट्रीकरण बोर्ड को अपील कर सकेगा और उस पर सदाचार और चिकित्सक रजिस्ट्रीकरण बोर्ड का विनिश्चय राज्य चिकित्सा परिषद् पर तब तक बाध्यकारी होगा, जब तक उपधारा (4) के अधीन कोई द्वितीय अपील प्रस्तुत नहीं कर दी जाती है।

(4) कोई चिकित्सा व्यवसायी या वृत्तिक, जो सदाचार और चिकित्सक रजिस्ट्रीकरण बोर्ड के विनिश्चय से व्यथित है, ऐसे विनिश्चय की संसूचना के साठ दिन के भीतर आयोग को अपील प्रस्तुत कर सकेगा।

स्पष्टीकरण—इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए,—

(क) ''राज्य'' के अंतर्गत संघ राज्यक्षेत्र सम्मिलित हैं, और संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में ''राज्य सरकार'' और ''राज्य चिकित्सा परिषद्'' पद से क्रमश: ''केन्द्रीय सरकार'' और ''संघ राज्यक्षेत्र चिकित्सा परिषद्'' अभिप्रेत है;

(ख) ''वृत्तिक या सदाचार से संबंधित अवचार'' के अंतर्गत किसी ऐसे कृत्य का किया जाना या उसका लोप किया जाना सम्मिलित है, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

राष्ट्रीय रजिस्टर और राज्य रजिस्टर।

31. (1) सदाचार और चिकित्सक रजिस्ट्रीकरण बोर्ड, एक राष्ट्रीय रजिस्टर रखेगा, जिसमें किसी अनुज्ञप्त चिकित्सा व्यवसायी का नाम, पता, उसके द्वारा धारित सभी मान्यताप्राप्त अर्हताएं और ऐसी अन्य विशिष्टियां, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, अंतर्विष्ट होंगी।

(2) राष्ट्रीय रजिस्टर ऐसे प्ररूप में, जिसके अंतर्गत इलैक्ट्रानिक प्ररूप भी है, और ऐसी रीति में रखा जाएगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

(3) वह रीति, जिसमें राष्ट्रीय रजिस्टर में कोई नाम या अर्हता जोड़ी जा सकेगी या उसमें से हटाई जा सकेगी और उसके हटाए जाने के आधार वे होंगे, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(4) राष्ट्रीय रजिस्टर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 74 के अर्थ में एक लोक दस्तावेज होगा। 1872 का 1

(5) राष्ट्रीय रजिस्टर को सदाचार और चिकित्सक रजिस्ट्रीकरण बोर्ड की वेबसाइट पर रखकर जनता के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा।

(6) प्रत्येक राज्य चिकित्सा परिषद्, विनिर्दिष्ट इलैक्ट्रानिक प्रारूप में राज्य रजिस्टर रखेगी और इस अधिनियम के प्रारंभ से तीन मास के भीतर उसकी भौतिक प्रति सदाचार और चिकित्सक रजिस्ट्रीकरण बोर्ड को देगी।

(7) सदाचार और चिकित्सक रजिस्ट्रीकरण बोर्ड, राष्ट्रीय रजिस्टर और राज्य रजिस्टर का, ऐसी रीति में इलैक्ट्रानिक समक्रमिकता सुनिश्चित करेगा जिससे एक रजिस्टर में का कोई परिवर्तन स्वत: ही दूसरे रजिस्टर में प्रतिबिम्बित हो जाए।

(8) सदाचार और चिकित्सक रजिस्ट्रीकरण बोर्ड, पृथक राष्ट्रीय रजिस्टर, ऐसी रीति, में, ऐसी विशिष्टियां अंतर्विष्ट करते हुए, जिसके अंतर्गत धारा 32 में निर्दिष्ट सामुदायिक स्वास्थ्य प्रदाता का नाम, पता और उसकी सभी मान्यताप्राप्त अर्हताएं है, जैसा विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, रखेगा।

सामुदायित स्वास्थ्य प्रदाता।

32. (1) आयोग, आधुनिक वैज्ञानिक चिकित्सा व्यवसाय से संबद्ध ऐसे व्यक्ति को, जिसने ऐसे मानदंड अर्हित किए हैं, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, सामुदायिक स्वास्थ्य प्रदाता के रूप में मध्यम स्तर पर चिकित्सा व्यवसाय करने के लिए सीमित अनुज्ञप्ति अनुदत्त कर सकेगा:

परंतु इस उपधारा के अधीन अनुदत्त सीमित अनुज्ञप्ति की संख्या धारा 31 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत अनुज्ञप्तिधारी चिकित्सा व्यवसायियों की कुल संख्या के एक-तिहाई से अधिक नहीं होगी।

(2) सामुदायिक स्वास्थ्य प्रदाता, जिसे उपधारा (1) के अधीन सीमित अनुज्ञप्ति अनुदत्त की गई है, ऐसी परिस्थितियों में उस विस्तार तक और ऐसी अवधि के लिए चिकित्सा व्यवसाय कर सकेगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

(3) सामुदायिक स्वास्थ्य प्रदाता, केवल प्राथमिक और निवारक स्वास्थ्य देखरेख में स्वतंत्र रूप से विनिर्दिष्ट औषध विहित कर सकेगा, किंतु प्राथमिक और निवारक स्वास्थ्य देखरेख से भिन्न मामलों में वह केवल धारा 32 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायियों के पर्यवेक्षण में औषध विहित कर सकेगा।

व्यक्तियों के व्यवसाय करने के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त करने और राष्ट्रीय रजिस्टर या राज्य रजिस्टर में अभ्यावेशित किए जाने के अधिकार और उससे संबंधित उनकी बाध्यताएं।

33. (1) किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसने धारा 15 के अधीन आयोजित राष्ट्रीय निर्गम परीक्षा उत्तीर्ण की है, चिकित्सा व्यवसाय करने के लिए अनुज्ञप्ति दी जाएगी और उसका नाम तथा अर्हताएं, यथास्थिति, राष्ट्रीय रजिस्टर या राज्य रजिस्टर में अभ्यावेशित की जाएगी:

परंतु ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसे इस अधिनियम के प्रवर्तन में आने के पूर्व और धारा 15 की उपधारा (3) के अधीन राष्ट्रीय निर्गम परीक्षा के प्रवर्तन में आने के पहले भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 के अधीन भारतीय चिकित्सा रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत किया गया है, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया गया समझा जाएगा और उसे इस अधिनियम के अधीन रखे गए राष्ट्रीय रजिस्टर में अभ्यावेशित किया जाएगा।

1956 का 102

(2) ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसने भारत से बाहर किसी देश में स्थापित किसी आयुर्विज्ञान संस्था से कोई आयुर्विज्ञान अर्हता अभिप्राप्त की है और वह उस देश में चिकित्सा व्यवसायी के रूप में मान्यताप्राप्त है, इस अधिनियम के प्रारंभ होने और धारा 15 की उपधारा (3) के अधीन राष्ट्रीय निर्गम परीक्षा के प्रवृत्त होने के पश्चात् राष्ट्रीय रजिस्टर में तब तक अभ्यावेशित नहीं किया जाएगा, जब तक वह राष्ट्रीय निर्गम परीक्षा में अर्हित नहीं हो जाता है।

(3) जब कोई ऐसा व्यक्ति, जिसका नाम, यथास्थिति, राज्य रजिस्टर या राष्ट्रीय रजिस्टर में प्रविष्ट है, विज्ञान या लोक स्वास्थ्य या आयुर्विज्ञान में, जो यथास्थिति, धारा 35 या धारा 36 के अधीन मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता है, कोई उपाधि, डिप्लोमा या प्रवीणता संबंधी कोई अन्य अर्हता अभिप्राप्त करता है, तो वह ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, यथास्थिति, राज्य रजिस्टर या राष्ट्रीय रजिस्टर में अपने नाम के सामने ऐसी उपाधि, डिप्लोमा या अर्हता को प्रविष्ट करने का हकदार होगा।

व्यवसाय का वर्जन।

34. (1) किसी ऐसे व्यक्ति से भिन्न, जो, यथास्थिति, राज्य रजिस्टर या राष्ट्रीय रजिस्टर में अभ्यावेशित है, कोई व्यक्ति,—

(क) अर्हित चिकित्सा व्यवसायी के रूप में चिकित्सा व्यवसाय के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा;

(ख) चिकित्सक या शल्य चिकित्सक के रूप में कोई पद या कोई अन्य ऐसा पद, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, जो किसी चिकित्सक या शल्य चिकित्सक द्वारा धारित किए जाने के लिए आरियत हो, धारण नहीं करेगा;

(ग) किसी ऐसे चिकित्सा प्रमाणपत्र या आरोग्य प्रमाणपत्र या किसी अन्य ऐसे प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करने या अधिप्रमाणित करने का हकदार नहीं होगा, जिसका किसी विधि द्वारा सम्यक् रूप से अर्हित चिकित्सा व्यवसायी द्वारा हस्ताक्षरित या अधिप्रमाणित किया जाना अपेक्षित है;

1872 का 1

(घ) आयुर्विज्ञान से संबंधित किसी मामले में भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 45 के अधीन विशेषज्ञ के रूप में किसी मृत्यु समीक्षा में या किसी न्यायालय में साक्ष्य देने का हकदार नहीं होगा:

परंतु आयोग, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, केंद्रीय सरकार को ऐसे चिकित्सा वृत्तिकों की सूची प्रस्तुत करेगा:

परंतु यह और कि किसी ऐसे विदेशी नागरिक को, जो उस देश में के चिकित्सा व्यवसायियों के रजिस्ट्रीकरण को विनियमित करने वाली विधि के अनुसार चिकित्सा व्यवसायी के रूप में अपने देश में अभ्यावेशित है, भारत में ऐसी अवधि के लिए और ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, अस्थायी रजिस्ट्रीकरण अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(2) किसी व्यक्ति को, जो इस धारा के उपबंधों में से किसी उपबंध का उल्लंघन करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

अध्याय 6

आयुर्विज्ञान अर्हताओं को मान्यता

भारत में के किसी विश्वविद्यालय या आयुर्विज्ञान संस्थाओं द्वारा अनुदत्त आयुर्विज्ञान अर्हताओं को मान्यता।

35. (1) भारत में के किसी विश्वविद्यालय या आयुर्विज्ञान संस्था द्वारा अनुदत्त आयुर्विज्ञान अर्हता को, ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, यथास्थिति, स्नातकपूर्व आयुर्विज्ञान शिक्षा बोर्ड या स्नातकोत्तर शिक्षा बोर्ड द्वारा सूचीबद्ध किया जाएगा और उसे अनुरक्षित किया जाएगा तथा ऐसी आयुर्विज्ञान अर्हता, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता होगी।

(2) भारत में का कोई ऐसा विश्वविद्यालय या ऐसी आयुर्विज्ञान संस्था, जो ऐसी स्नातकपूर्व या स्नातकोत्तर या अति विशेषज्ञता आयुर्विज्ञान अर्हता अनुदत्त करती है, जो, यथास्थिति, स्नातकपूर्व आयुर्विज्ञान शिक्षा बोर्ड या स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा बोर्ड द्वारा अनुरक्षित सूची में सम्मिलित नहीं है, ऐसी अर्हता को मान्यता अनुदत्त करने के लिए उस बोर्ड को आवेदन कर सकेगी।

(3) यथास्थिति, स्नातकपूर्व आयुर्विज्ञान शिक्षा बोर्ड या स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा बोर्ड, छह मास की अवधि के भीतर, ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, किसी आयुर्विज्ञान अर्हता को मान्यता अनुदत्त करने के लिए किए गए आवेदन की जांच करेगा।

(4) जहां, यथास्थिति, स्नातकपूर्व आयुर्विज्ञान शिक्षा बोर्ड या स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा बोर्ड किसी आयुर्विज्ञान अर्हता को मान्यता अनुदत्त करने का विनिश्चय करता है, वहां वह ऐसी आयुर्विज्ञान अर्हता को उसके द्वारा अनुरक्षित सूची में सम्मिलित करेगा और ऐसी मान्यता के प्रभावी होने की तारीख भी विनिर्दिष्ट करेगा।

(5) जहां, यथास्थिति, स्नातकपूर्व आयुर्विज्ञान शिक्षा बोर्ड या स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा बोर्ड किसी आयुर्विज्ञान मान्यता को अनुदत्त न करने का विनिश्चय करता है, वहां संबंधित विश्वविद्यालय या आयुर्विज्ञान संस्था, ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसे विनिश्चय की संसूचना से साठ दिन के भीतर मान्यता अनुदत्त करने के लिए आयोग को अपील प्रस्तुत कर सकेगा।

(6) आयोग, दो मास की अवधि के भीतर उपधारा (5) के अधीन प्राप्त अपील की जांच करेगा और यदि वह यह विनिश्चय करता है कि ऐसी आयुर्विज्ञान अर्हता को मान्यता अनुदत्त कर दी जाए तो वह, यथास्थिति, स्नातकपूर्व आयुर्विज्ञान शिक्षा बोर्ड या स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा बोर्ड को, ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, उस बोर्ड द्वारा अनुरक्षित सूची में ऐसी आयुर्विज्ञान अर्हता को सम्मिलित करने का निदेश दे सकेगा।

(7) जहां आयोग, आयुर्विज्ञान अर्हता को मान्यता अनुदत्त न करने का विनिश्चय करता है या विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई विनिश्चय करने में असफल रहता है, वहां संबंधित विश्वविद्यालय या आयुर्विज्ञान संस्था, यथास्थिति, ऐसे विनिश्चय की संसूचना के तीस दिन के भीतर या विनिर्दिष्ट अवधि के व्यपगत हो जाने पर केंद्रीय सरकार को दूसरी अपील प्रस्तुत कर सकेगा।

(8) ऐसी सभी आयुर्विज्ञान अर्हताएं, जो इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से पहले मान्यता प्रदान कर दी गई है और जो भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 की पहली अनुसूची और तीसरी अनुसूची के भाग 1 में सम्मिलित हैं, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हताएं होंगी और उन्हें, यथास्थिति, स्नातकपूर्व आयुर्विज्ञान शिक्षा बोर्ड या स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा बोर्ड द्वारा ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, सूचीबद्ध और अनुरक्षित किया जाएगा। 1956 का 102

भारत के बाहर आयुर्विज्ञान संस्थाओं द्वारा अनुदत्त आयुर्विज्ञान अर्हताओं को मान्यता।

36. (1) जहां भारत से बाहर किसी देश का ऐसा प्राधिकारी, जिसे उस देश की विधि द्वारा, उस देश में आयुर्विज्ञान संबंधी अर्हताओं की मान्यता न्यस्त की गई है, आयोग को, भारत में ऐसी आयुर्विज्ञान संबंधी अर्हता को मान्यता अनुदत्त करने के लिए कोई आवेदन करता है, वहां आयोग ऐसे सत्यापन के अधीन रहते हुए, जो वह आवश्यक समझे, उस आयुर्विज्ञान अर्हता को मान्यता अनुदत्त कर सकेगा या अनुदत्त करने से इंकार कर सकेगा:

परंतु आयोग ऐसी मान्यता देने से इंकार करने से पूर्व ऐसे प्राधिकारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा।

(2) कोई ऐसी आयुर्विज्ञान संबंधी अर्हता, जिसे उपधारा (1) के अधीन आयोग द्वारा मान्यता अनुदत्त की गई है, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता होगी और ऐसी अर्हता को, आयोग द्वारा ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, सूचीबद्ध और अनुरक्षित किया जाएगा।

(3) जहां आयोग उपधारा (1) के अधीन आयुर्विज्ञान अर्हता को मान्यता अनुदत्त करने से इंकार कर देता है, संबद्ध प्राधिकारी केंद्रीय सरकार को, ऐसे विनिश्चय के विरुद्ध, उसकी संसूचना के तीस दिन के भीतर अपील प्रस्तुत कर सकेगा।

(4) ऐसी सभी आयुर्विज्ञान संबंधी अर्हताएं भी, जो इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से पूर्व मान्यताप्राप्त हैं और जो भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 की दूसरी अनुसूची और तीसरी अनुसूची के भाग 2 में सम्मिलित हैं, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हताएं होंगी और उन्हें आयोग द्वारा, ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, सूचीबद्ध और अनुरक्षित किया जाएगा।

1956 का 102

भारत में के कानूनी या अन्य निकाय द्वारा अनुदत्त आयुर्विज्ञान अर्हताओं को मान्यता।

37. (1) भारत में के किसी कानूनी या अन्य निकाय द्वारा अनुदत्त ऐसी आयुर्विज्ञान अर्हताएं, जो अनुसूची में सूचीबद्ध प्रवर्गों के अंतर्गत आती हैं, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हताएं होंगी।

(2) मुख्य विशेषज्ञता अर्हताओं और अति विशेषज्ञता अर्हताओं में राष्ट्रीय बोर्ड का डिप्लोमाधारी, जब वह सहबद्ध चिकित्सालय वाले या पांच सौ या अधिक बिस्तरों की संख्या के चिकित्सालय वाली आयुर्विज्ञान संस्था में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा अनुदत्त की जाएं, सभी प्रकार से इस अधिनियम के अधीन अनुदत्त तत्स्थानी स्नातकोत्तर अर्हता और अति विशेषज्ञता अर्हता के समतुल्य होगा, किंतु अन्य सभी मामलों में किसी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में एक वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए ज्येष्ठ रेजिडेंसी ऐसी अर्हता के समतुल्य होगी।

(3) केन्द्रीय सरकार, आयोग की सिफारिश पर और इस अधिनियम के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, अधिसूचना द्वारा भारत में के कानूनी या अन्य निकाय द्वारा अनुदत्त आयुर्विज्ञान अर्हताओं के किन्हीं प्रवर्गों को अनुसूची में, यथास्थिति, जोड़ सकेगी या उनका लोप कर सकेगी और यथास्थिति, ऐसे जोड़े जाने या लोप किए जाने पर भारत में के ऐसे कानूनी या अन्य निकाय द्वारा अनुदत्त आयुर्विज्ञान अर्हताएं, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हताएं होंगी या नहीं रहेंगी।

भारत में आयुर्विज्ञान संस्थाओं द्वारा प्रदत्त आयुर्विज्ञान अर्हता की अनुदत्त मान्यता का वापस लिया जाना।

38. (1) जहां धारा 26 के अधीन चिकित्सा निर्धारण और रेटिंग बोर्ड से रिपोर्ट प्राप्त होने पर या अन्यथा, यदि आयोग की यह राय है कि,—

(क) किसी विश्वविद्यालय या आयुर्विज्ञान संस्था द्वारा पूरे किए जाने वाले पाठ्यक्रम और दी जाने वाली परीक्षा या उसके द्वारा ली गई परीक्षा में अभ्यर्थियों से अपेक्षित प्रवीणता, यथास्थिति, स्नातकपूर्व आयुर्विज्ञान शिक्षा बोर्ड या स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट स्तरों के अनुरूप नहीं हैं; या

(ख) यथास्थिति, स्नातकपूर्व आयुर्विज्ञान शिक्षा बोर्ड या स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा बोर्ड द्वारा यथा अवधारित आयुर्विज्ञान संस्था में की अवसंरचना, संकाय और शिक्षा की क्वालिटी के स्तरमानों और मानकों का विश्वविद्यालय या आयुर्विज्ञान संस्था द्वारा पालन नहीं किया गया है और ऐसा विश्वविद्यालय या आयुर्विज्ञान संस्था विनिर्दिष्ट न्यूनतम स्तरमानों को बनाए रखने के लिए आवश्यक संशोधनकारी कार्रवाई करने में असफल रही है, वहां आयोग उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई आरंभ कर सकेगा:

परंतु आयोग, किसी विश्वविद्यालय या आयुर्विज्ञान संस्था द्वारा प्रदान की गई आयुर्विज्ञान अर्हता को अनुदत्त मान्यता को स्वप्रेरणा से वापस लिए जाने हेतु कोई कार्रवाई करने से पहले धारा 26 की उपधारा (1) के खंड (च) के उपबंध के अनुसार शास्ति अधिरोपित करेगा।

(2) आयोग, ऐसी अतिरिक्त जांच करने के पश्चात्, जो वह ठीक समझे और संबद्ध राज्य सरकार

तथा सम्बद्ध विश्वविद्यालय या आयुर्विज्ञान संस्था के प्राधिकारी से परामर्श करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि किसी आयुर्विज्ञान अर्हता को अनुदत्त मान्यता को वापस ले लिया जाना चाहिए तो वह, आदेश द्वारा ऐसी आयुर्विज्ञान अर्हता को अनुदत्त मान्यता वापस ले सकेगा तथा, यथास्थिति, स्नातकपूर्व आयुर्विज्ञान शिक्षा बोर्ड या स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा बोर्ड को, उस बोर्ड द्वारा अनुरक्षित सूची में संबद्ध विश्वविद्यालय या आयुर्विज्ञान संस्था के सामने की प्रविष्टि में इस प्रभाव का संशोधन करने का निदेश देगा कि ऐसी आयुर्विज्ञान अर्हता को अनुदत्त मान्यता उस आदेश में विनिर्दिष्ट तारीख से वापस ली जाती है।

भारत के बाहर आयुर्विज्ञान संस्थाओं द्वारा अनुदत्त आयुर्विज्ञान अर्हताओं की मान्यता को समाप्त किया जाना।

39. जहां भारत के बाहर किसी देश में के प्राधिकारी के साथ सत्यापन के पश्चात्, आयोग की यह राय है कि ऐसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता को, जो उसके द्वारा अनुरक्षित सूची में सम्मिलित है, मान्यता नहीं दी जानी चाहिए, वहां वह, आदेश द्वारा, ऐसी आयुर्विज्ञान अर्हता की मान्यता को समाप्त कर सकेगा और उसे ऐसे आदेश की तारीख से आयोग द्वारा अनुरक्षित सूची से हटा सकेगा।

कतिपय दशाओं में आयुर्विज्ञान अर्हताओं की मान्यताओं के लिए विशेष उपबंध।

40. जहां आयोग यह आवश्यक समझाता है, वहां वह, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगा कि भारत के बाहर किसी देश में की किसी आयुर्विज्ञान संस्था द्वारा अनुदत्त कोई आयुर्विज्ञान अर्हता, ऐसी तारीख के पश्चात्, जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता होगी:

परंतु ऐसी अर्हता रखने वाले किसी व्यक्ति द्वारा किया जाने वाला चिकित्सा व्यवसाय केवल तभी अनुज्ञेय होगा, यदि ऐसे व्यक्ति ने राष्ट्रीय निर्गम परीक्षा अर्हित की है।

अध्याय 7

अनुदान, संपरीक्षा और लेखा

केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान।

41. केन्द्रीय सरकार, इस निमित्त संसद् द्वारा विधि द्वारा विनियोग के पश्चात्, आयोग को ऐसी धनराशि का अनुदान दे सकेगी, जैसा केन्द्रीय सरकार ठीक समझे।

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग निधि।

42. (1) ''राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग निधि'' नामक एक निधि का गठन किया जाएगा, जो भारत के लोक लेखा का भागरूप होगी और उसमें निम्नलिखित राशियां जमा की जाएंगी,—

(क) आयोग और स्वशासी बोर्डों द्वारा प्राप्त सभी सरकारी अनुदान, फीस, शास्तियां और प्रभार;

(ख) आयोग द्वारा ऐसे अन्य स्रोतों से, जो उसके द्वारा विनिश्चित किए जाएं, प्राप्त सभी धनराशियां।

(2) निधि का उपयोजन,—

(क) आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों, स्वशासी बोर्डों के अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्तों तथा, प्रशासनिक व्यय, जिनके अंतर्गत आयोग और स्वशासी बोर्डों के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते भी हैं;

(ख) इस अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन में उपगत व्यय, जिसके अंतर्गत आयोग और स्वशासी बोर्डों के कृत्यों के निर्वहन के संबंध में उपगत व्यय भी हैं, के मद्दे संदाय के लिए किया जाएगा।

संपरीक्षा और लेखा।

43. (1) आयोग, उचित लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और लेखाओं का एक वार्षिक विवरण ऐसे प्रारूप में तैयार करेगा, जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से विहित किया जाए।

(2) आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा, ऐसे अंतरालों पर की जाएगी, जो उसके द्वारा विहित किए जाएं और ऐसी संपरीक्षा के संबंध में अपगत कोई व्यय आयोग द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को संदेय होगा।

(3) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक और आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति को उस संपरीक्षा के संबंध में वही अधिकार, विशेषाधिकार और प्राधिकार

होंगे, जो सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में साधारणतया भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के होते हैं और उसे विशेषज्ञता रूप से अभिलेखों, बहियों, लेखा, संबद्ध वाऊचर तथा अन्य दस्तावेज और कागज-पत्र पेश किए जानें की मांग करने और उन तक पूर्ण पहुंच रखने तथा आयोग के कार्यालयों का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(4) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथा प्रमाणित आयोग के लेखे उस पर संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ प्रत्येक वर्ष केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित किए जाएंगे और वह उन्हें संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगी।

विवरणियां और रिपोर्टों का केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत किया जाना।

44. (1) आयोग, केन्द्रीय सरकार को, ऐसे समय पर, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए या जैसा केन्द्रीय सरकार निदेश दे, ऐसी रिपोर्ट और विवरणी, जिसमें आयोग की अधिकारिता के अधीन किसी विषय के संबंध में ऐसी विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी, जिनकी केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अपेक्षा की जाए, प्रस्तुत करेगा।

(2) आयोग, प्रत्येक वर्ष एक बार, वार्षिक रिपोर्ट, ऐसे प्ररूप मे और ऐसे समय पर, जो विहित किया जाए, तैयार करेगा, जिसमें पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान उसके क्रियाकलापों का संक्षिप्त विवरण होगा और रिपोर्ट की प्रतियां केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित की जाएंगी।

(3) केन्द्रीय सरकार द्वारा, उपधारा (2) के अधीन प्राप्त रिपोर्ट की एक प्रति, प्राप्त होने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद के समक्ष रखी जाएगी।

IndiaCode

अध्याय 8

प्रकीर्ण

केन्द्रीय सरकार की आयोग और स्वशासी बोर्डों को निदेश देने की शक्ति।

45. (1) इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आयोग और स्वशासी बोर्ड, इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अपने कृत्यों के निर्वहन मे नीति के ऐसे प्रश्नों पर ऐसे निदेशों से आबद्ध होगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा उन्हें समय-समय पर लिखित में दिए जाएं:

परंतु आयोग और स्वशासी बोर्ड को इस उपधारा के अधीन कोई निदेश दिए जाने के पूर्व, जहां तक व्यवहार्य हो, अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया जाएगा।

(2) कोई प्रश्न नीति का है या नहीं, इस विषय में केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।

केन्द्रीय सरकार की राज्य सरकारों को निदेश देने की शक्ति।

46. केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार को, इस अधिनियम के सभी या किन्ही उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए ऐसे निदेश दे सकेगी, जो वह आवश्यक समझे और राज्य सरकार ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगी।

आयोग द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी और उसका प्रकाशन।

47. (1) आयोग, केन्द्रीय सरकार को, ऐसी रिपोर्टें, अपने कार्यवृत्तों की प्रतिलिपियां, अपने लेखाओं का सार और अन्य जानकारी प्रस्तुत करेगा, जिसकी सरकार अपेक्षा करे।

(2) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (1) के अधीन उसे प्रस्तुत की गई रिपोर्टों, कार्यवृत्तों, लेखाओं के सार और अन्य जानकारी ऐसी रीति में प्रकाशित कर सकेगी, जैसी वह ठीक समझे।

विश्वविद्यालयों और आयुर्विज्ञान संस्थाओं की बाध्यताएं।

48. इस अधिनियम के अधीन शासित प्रत्येक विश्वविद्यालय और आयुर्विज्ञान संस्था सभी समय पर वेबसाइट बनाए रखेगी और अपनी वेबसाइट पर ऐसी सभी जानकारी संप्रदर्शित करेगी, जिसकी, यथास्थिति, आयोग या स्वशासी बोर्ड द्वारा अपेक्षा की जाए।

आयुर्विज्ञान संस्थाओं में अध्ययन पाठ्यक्रमों का पूरा किया जाना।

49. (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई छात्र, जो इस अधिनियम के प्रारंभ होने से ठीक पहले किसी आयुर्विज्ञान संस्था मे किसी डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाणपत्र के लिए अध्ययन कर रहा है, वैसे ही अध्ययन जारी रखेगा तथा वह ऐसी डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाणपत्र के लिए अपना पाठ्यक्रम पूरा करेगा और ऐसी संस्था पाठ्य विवरण के अनुसार ऐसे छात्र के लिए वैसा ही शिक्षण और परीक्षा उपलब्ध करवाती रहेगी जैसा ऐसे प्रारंभ में पहले विद्यमान था और ऐसे छात्र को इस अधिनियम के

अधीन अपना पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन पूरा किया गया समझा जाएगा और उसे इस अधिनियम के अधीन डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाणपत्र दिया जाएगा।

(2) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी आयुर्विज्ञान संस्था को अनुदत्त मान्यता चाहे समय बीत जाने के कारण या उसके द्वारा स्वेच्छा से अभ्यर्पण करने के कारण या किसी भी अन्य कारण से व्यपगत हो गई है, वहां ऐसी आयुर्विज्ञान संस्था, उस समय तक, जब तक कि ऐसे सभी अभ्यर्थी, जिन्होंने उस आयुर्विज्ञान संस्था में प्रवेश लिया है, अपना अध्ययन पूरा नहीं कर लेते हैं, ऐसे न्यूनतम मानकों को बनाए रखेगी और उपलब्ध कराएगी, जिनका इस अधिनियम के अधीन उपलब्ध करवाया जाना अपेक्षित है।

आयोग, होम्योपैथी और भारतीय आयुर्विज्ञान की केन्द्रीय परिषदों की, उनकी अपनी चिकित्सा पद्धतियों के मध्य इंटरफेस में वृद्धि के लिए संयुक्त बैठकें।

50. (1) होम्योपैथी और भारतीय चिकित्सा पद्धति और आधुनिक चिकित्सा पद्धति के मध्य इंटरफेस में वृद्धि के लिए, आयोग, केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् और भारतीय आयुर्विज्ञान केन्द्रीय परिषद् की प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार, ऐसे समय और स्थान पर, जो वे पारस्परिक रूप से नियत करे, संयुक्त बैठकें होंगी।

(2) संयुक्त बैठक के लिए कार्यसूची, आयोग के अध्यक्ष, केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् और भारतीय आयुर्विज्ञान केन्द्रीय परिषद् के बीच पारस्परिक सहमति से तैयार की जा सकेगी या उनमें से प्रत्येक के द्वारा पृथक् रूप से तैयार की जा सकेगी।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट संयुक्त बैठक में, उपस्थित और मत देने वाले सभी सदस्यों के सकारात्मक मत द्वारा ऐसे विनिर्दिष्ट शैक्षिक मापदंडों या कार्यक्रमों के अनुमोदन के संबंध में विनिश्चय किया जा सकेगा, जिन्हें सभी चिकित्सा पद्धतियों के स्नातकपूर्व पाठ्यक्रम में पुर:स्थापित किया जा सकेगा और जिनसे आयुर्विज्ञान बहुलवाद का संवर्धन हो सकेगा।

राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख का संवर्धन किया जाना।

51. प्रत्येक राज्य सरकार, ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख पर ध्यान देने या उसके संवर्धन के प्रयोजनों के लिए स्वास्थ्य देखरेख वृत्तिकों की क्षमता वृद्धि के लिए आवश्यक उपाय कर सकेगी।

आयोग और स्वशासी बोर्डों के अध्यक्ष, सदस्यों और अधिकारियों का लोक सेवक होना।

52. आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों तथा स्वशासी बोर्डों के अध्यक्ष, सदस्यों तथा अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के बारे में, जब वे इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों के अनुसरण में कार्य कर रहे हैं या उनका कार्य किया जाना तात्पर्यित है, यह समझा जाएगा के वे भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थातंर्गत लोक सेवक हैं। 1860 का 21

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।

53. इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही सरकार, आयोग या किसी स्वशासी बोर्ड या राज्य चिकित्सा परिषद् या उसकी किसी समिति के या सरकार या आयोग के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध नहीं होगी।

अपराधों का संज्ञान।

54. कोई भी न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी उपराध का संज्ञान यथास्थिति, आयोग या सदाचार और चिकित्सक रजिस्ट्रीकरण बोर्ड या राज्य चिकित्सा परिषद् द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी की इस निम्नलिखित रिपोर्ट पर करने के सिवाय नहीं करेगा।

केन्द्रीय सरकार की आयोग को अतिष्ठित करने की शक्ति।

55. (1) यदि किसी समय केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि—

(क) आयोग इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अधिरोपित अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है; या

(ख) आयोग ने इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किसी निदेश का पालन करने में या इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में बार-बार व्यतिक्रम किया है,

तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, छह मास से अनधिक की उतनी अवधि के लिए, जितनी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, आयोग को अतिष्ठित कर सकेगी:

परंतु केन्द्रीय सरकार, इस उपधारा के अधीन कोई अधिसूचना जारी करने से पूर्व, आयोग को यह कारण दर्शित करने के लिए युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगी कि उसे अतिष्ठित क्यों न कर दिया जाए और वह आयोग के स्पष्टीकरण और आक्षेपों पर, यदि कोई हों, विचार करेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन आयोग के अतिष्ठित करने संबंधी अधिसूचना के प्रकाशन पर—

(क) आयोग के सभी सदस्य, अतिष्ठित होने की तारीख से उस हैसियत में अपना पद रिक्त कर देंगे;

(ख) ऐसी सभी शक्तियां, कृत्य और कर्तव्य, जिनका इस अधिनियम के उपबंधों के द्वारा या उसके अधीन आयोग द्वारा या उसकी ओर से प्रयोग या निर्वहन किया जा सकेगा, उपधारा (3) के अधीन आयोग का पुनर्गठन हो जाने तक ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा प्रयोग और निर्वहन किया जाएगा जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा निदेश दिया जाए;

(ग) आयोग के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन सभी संपत्ति, उपधारा (3) के अधीन आयोग का पुनर्गठन हो जाने तक केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

(3) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अतिष्ठिति काल की समाप्ति पर,—

(क) अतिष्ठिति काल को छह मास से अनधिक की उतनी और अवधि के लिए बढ़ा सकेगी, जितनी वह आवश्यक समझे; या

(ख) आयोग का, नए सिरे से नियुक्ति करके, पुनर्गठन कर सकेगी और उस दशा में ऐसे सदस्यों को, जिन्होंने उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन अपना पद रिक्त कर दिया था, नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं समझा जाएगा:

परंतु केन्द्रीय सरकार, उपधारा (1) के अधीन मूलत: विनिर्दिष्ट या इस उपधारा के अधीन विस्तारित अतिष्ठिति काल की समाप्ति के पूर्व किसी समय, इस उपधारा के खंड (ख) के अधीन कार्रवाई कर सकेगी।

(4) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना और इस धारा के अधीन की गई किसी कार्रवाई की तथा ऐसी कार्रवाई करने संबंधी परिस्थितियों की पूरी रिपोर्ट, शीघ्रतम अवसर पर, संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगी।

नियम बनाने की शक्ति।

56. (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, अधिसूचना द्वारा, पूर्व प्रकाशन के पश्चात् नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:—

(क) धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (ख) के अधीन आयुर्विज्ञान सलाहकार परिषद् में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नामनिर्देशितियों में से चक्रानुक्रम के आधार पर आयोग के छह सदस्यों की नियुक्ति की रीति;

(ख) धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (ग) के अधीन आयोग के पांच सदस्यों की नियुक्ति की रीति;

(ग) धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन केन्दीय सरकार द्वारा एक विशेषज्ञ को नामनिर्दिष्ट करने की रीति;

(घ) धारा 6 की उपधारा (4) के अधीन अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें;

(ङ) धारा 6 की उपधारा (6) के अधीन घोषणा करने का प्ररूप और रीति;

IndiaCode

(च) धारा 8 की उपधारा (2) के अधीन आयोग के सचिव द्वारा धारित की जाने वाली अर्हताएं और अनुभव;

(छ) धारा 8 की उपधारा (6) के अधीन आयोग के सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें;

(ज) धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (ञ) के अधीन आयोग की अन्य शक्तियां और कृत्य;

(झ) धारा 11 के दूसरे परंतुक के अधीन किसी सदस्य द्वारा धारित की जाने वाली आयुर्विज्ञान अर्हता और अनुभव;

(ञ) धारा 17 की उपधारा (5) के अधीन अंशकालिक सदस्यों को चुने जाने की रीति;

(ट) धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन किसी स्वशासी बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें तथा उसके परंतुक के अधीन अंशकालिक सदस्यों को संदेय भत्ते;

(ठ) धारा 29 के खंड (घ) के अधीन अन्य कारक;

(ड) धारा 34 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक के अधीन चिकित्सा वृत्तिकों की सूची प्रस्तुत करने की रीति;

(ढ) धारा 43 की उपधारा (1) के अधीन वार्षिक लेखा विवरण तैयार करने का प्ररूप;

(ण) वह समय, जिसके भीतर और वह प्ररूप तथा रीति, जिसमें आयोग द्वारा रिपोर्टें और विवरण प्रस्तुत किए जाएंगे और किसी ऐसे विषय के संबंध में विशिष्टियां, जिसकी धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार अपेक्षा करे;

(त) धारा 44 की उपधारा (2) के अधीन वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने का प्ररूप और समय;

(थ) कोई अन्य विषय, जिसके संबंध में नियमों द्वारा उपबंध किए जा सकेंगे।

विनियम बनाने की शक्ति।

57. (1) आयोग, पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के संगत विनियम बना सकेगा।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:—

(क) धारा 8 की उपधारा (4) के अधीन आयोग के सचिव द्वारा निर्वहन किए जाने वाले कृत्य;

(ख) वह प्रक्रिया, जिसके अनुसार धारा 8 की उपधारा (7) के अधीन विशेषज्ञ और वृत्तिक नियुक्त किए जा सकेंगे और ऐसे विशेषज्ञों और वृत्तिकों की संख्या;

(ग) धारा 9 की उपधारा (3) के अधीन आयोग की बैठकों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत उसकी बैठकों की गणपूर्ति भी है;

(घ) ऐसी क्वालिटी और स्तरमान, जो धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन आयुर्विज्ञान शिक्षा में बनाए रखे जाएंगे;

(ङ) धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन आयुर्विज्ञान संस्थाओं, आयुर्विज्ञान अनुसंधानों और चिकित्सा वृत्तिकों को विनियमित करने की रीति;

(च) धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन आयोग, स्वशासी बोर्डों और राज्य चिकित्सा परिषदों के कार्यकरण की रीति;

(छ) धारा 13 की उपधारा (3) के अधीन आयुर्विज्ञान सलाहकार परिषद् की बैठकों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत उसकी बैठकों की गणपूर्ति भी है;

(ज) अन्य भाषाएं, जिनमें और वह रीति, जिसमें धारा 14 की उपधारा (2) के अधीन राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा का संचालन किया जाएगा;

(झ) धारा 14 की उपधारा (3) के अधीन स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा में प्रवेश के लिए अभिहित प्राधिकारी द्वारा सामान्य काउंसिलिंग करने की रीति;

(ञ) धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन राष्ट्रीय निर्गम परीक्षा का संचालन करने के लिए अभिहित प्राधिकारी और उसके संचालन की रीति;

(ट) वह रीति जिसमें विदेशी आयुर्विज्ञान अर्हता वाला कोई व्यक्ति धारा 15 की उपधारा (4) के अधीन राष्ट्रीय निर्गम परीक्षा अर्हित करेगा;

(ठ) वह रीति जिसमें धारा 15 की उपधारा (5) के अधीन राष्ट्रीय निर्गम परीक्षा के आधार पर स्नातकोत्तर बोर्ड विशेषज्ञता आयुर्विज्ञान शिक्षा के लिए प्रवेश दिया जाएगा;

(ड) धारा 15 की उपधारा (6) के अधीन स्नातकोत्तर बोर्ड विशेषज्ञता आयुर्विज्ञान शिक्षा में प्रवेश के लिए अभिहित प्राधिकारी द्वारा सामान्य काउंसिलिंग करने की रीति;

(ढ) वह रीति, जिसमें धारा 21 के अधीन आयोग द्वारा विशेषज्ञ, वृत्तिक, अधिकारी और अन्य कर्मचारी स्वशासी बोर्डों को उपलब्ध कराएं जाएंगे;

(ण) धारा 24 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन स्नातकपूर्व स्तर पर पाठ्यक्रम;

(त) धारा 24 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन प्राथमिक आयुर्विज्ञान, सामुदायिक आयुर्विज्ञान और कौटुम्बिक आयुर्विज्ञान के लिए पाठ्यक्रम;

(थ) धारा 24 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन आयुर्विज्ञान संस्थाओं में स्नातकपूर्व पाठ्यक्रमों में शिक्षण की रीति;

(द) धारा 24 की उपधारा (1) के खंड (ङ) के अधीन आयुर्विज्ञान संस्थाओं में स्नातकपूर्व छात्रों के लिए पाठ्यक्रमों और परीक्षाओं के संचालन हेतु न्यूनतम अपेक्षाएं और मानक;

(न) धारा 25 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन स्नातकोत्तर स्तर और अति विशेषज्ञता स्तर पर आयुर्विज्ञान शिक्षा का स्तरमान;

(प) धारा 25 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन स्नातकोत्तर स्तर और अति विशेषज्ञता स्तर पर पाठ्यक्रम;

(फ) धारा 25 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन आयुर्विज्ञान संस्थाओं में स्नातकोत्तर और अति विशेषज्ञता पाठ्यक्रमों के शिक्षण की रीति;

(ब) धारा 25 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन आयुर्विज्ञान संस्थाओं में स्नातकोत्तर और अति विशेषज्ञता पाठ्यक्रमों और परीक्षाओं के संचालन के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं और स्तरमान;

(भ) धारा 25 की उपधारा (1) के खंड (ङ) के अधीन स्नातकोत्तर और अति विशेषज्ञता आयुर्विज्ञान शिक्षा के संचालन के लिए आयुर्विज्ञान संस्थाओं में की अवसंरचना, संकाय और शिक्षा की क्वालिटी के लिए स्तरमान और मानक;

(म) धारा 26 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन आयुर्विज्ञान संस्थाओं के निर्धारण और रेटिंग की प्रक्रिया;

(य) धारा 25 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन ऐसी संस्थाओं के निर्धारण और रेटिंग के लिए आयुर्विज्ञान संस्थाओं का निरीक्षण करने की रीति;

(यक) धारा 26 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन आयुर्विज्ञान संस्थाओं का निर्धारण और रेटिंग करने की रीति तथा निर्धारण और रेटिंग करने के लिए स्वतंत्र रेटिंग अभिकरण को पैनलित करने की रीति;

(यख) धारा 26 की उपधारा (1) के खंड (ङ) के अधीन आयुर्विज्ञान संस्थाओं के निर्धारण और रेटिंग को वेबसाईट या सार्वजनिक पटल पर उपलब्ध कराने की रीति;

(यग) धारा 26 की उपधारा (1) के खंड (च) के अधीन न्यूनतम अनिवार्य स्तरमानों को बनाए रखने में आयुर्विज्ञान संस्थाओं के असफल रहने के लिए उसके विरुद्ध किए जाने वाले उपाय;

(यघ) धारा 27 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन वृत्तिक आचरण को विनियमित करने और चिकित्सा सदाचार का संवर्धन करने की रीति;

(यङ) धारा 28 की उपधारा (2) के अधीन नए आयुर्विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना के लिए या कोई नया स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के लिए या स्थानों की संख्या में वृद्धि हेतु स्कीम का प्ररूप, उसकी विशिष्टियां, उसके साथ संलग्न की जाने वाली फीस और स्कीम प्रस्तुत करने की रीति;

(यच) धारा 28 की उपधारा (5) के अधीन स्कीम के अनुमोदन के लिए आयोग को अपील करने की रीति;

(यछ) ऐसे क्षेत्र, जिनके संबंध में धारा 29 के परंतुक के अधीन मापदंड में छूट दी जा सकेगी;

(यज) धारा 30 की उपधारा (2) के अधीन रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायियों या वृत्तिकों के वृत्तिक या सदाचार संबंधी अवचार के लिए किसी राज्य चिकित्सा परिषद् द्वारा अनुशासनिक कार्रवाई करने की रीति तथा सदाचार और चिकित्सक रजिस्ट्रीकरण बोर्ड द्वारा परिवाद और शिकायत प्राप्त करने की प्रक्रिया;

(यझ) ऐसे कृत्य का किया जाना या उसका लोप, जो धारा के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अधीन वृत्तिक या सदाचार संबंधी अवचार की कोटि में आता है;

(यञ) धारा 31 की उपधारा (1) के अधीन राष्ट्रीय रजिस्टर में अंतर्विष्ट की जाने वाली अन्य विशिष्टियां;

(यट) धारा 31 की उपधारा (2) के अधीन राष्ट्रीय रजिस्टर का प्ररूप, जिसके अंतर्गत इलैक्ट्रानिक प्ररूप भी है और उसके अनुरक्षण की रीति;

(यठ) वह रीति, जिसमें धारा 31 की उपधारा (3) के अधीन राष्ट्रीय रजिस्टर में किसी नाम या अर्हता को जोड़ा या हटाया जा सकेगा और उसके हटाए जाने के आधार;

(यड) ऐसा प्ररूप और रीति, जिसमें धारा 31 की उपधारा (8) के अधीन सामुदायिक स्वास्थ्य प्रदाता को रजिस्ट्रीकृत करने वाला राष्ट्रीय रजिस्टर अनुरक्षित किया जाएगा;

(यढ) धारा 32 की उपधारा (1) के अधीन चिकित्सा व्यवसाय करने हेतु सीमित अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने का मानदंड;

(यण) धारा 32 की उपधारा (2) के अधीन विस्तार, परिस्थितियां और अवधि;

(यत) धारा 35 की उपधारा (1) के अधीन भारत में किसी विश्वविद्यालय या आयुर्विज्ञान संस्था द्वारा अनुदत्त आयुर्विज्ञान अर्हताओं को सूचीबद्ध और उसका अनुरक्षण करने की रीति;

(यथ) धारा 35 की उपधारा (3) के अधीन मान्यता प्रदान करने हेतु आवेदन की जांच करने की रीति;

(यद) धारा 31 की उपधारा (5) के अधीन मान्यता प्रदान करने के लिए आयोग को अपील प्रस्तुत करने की रीति;

(यध) धारा 35 की उपधारा (6) के अधीन बोर्ड द्वारा अनुरक्षित सूची में आयुर्विज्ञान अर्हता को सम्मिलित करने की रीति;

(यन) ऐसी आयुर्विज्ञान अर्हताओं को सूचीबद्ध करने और उनके अनुरक्षण की रीति, जिन्हें धारा 35 की उपधारा (8) के अधीन इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से पहले मान्यता अनुदत्त की गई है।

नियमों और विनियमों का संसद् के समक्ष रखा जाना।

58. इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और विनियम तथा जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, उसके बनाए जाने या जारी किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा/रखी जाएगी, यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम या विनियम या अधिसूचना में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं या दोनों सदन इस बात पर सहमत हो जाएं कि वह नियम या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए या अधिसूचना जारी नहीं की जानी चाहिए तो तत्पश्चात् वह नियम या विनियम या अधिसूचना, यथास्थिति, ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा/होगी या वह निष्प्रभाव हो जाएगा/जाएगी, किंतु नियम या विनियम या अधिसूचना के इस प्रकार परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडेगा।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

59. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, जो उसे आवश्यक प्रतीत हों, इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, उस कठिनाई को दूर कर सकेगी:

परंतु यह कि ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

निरसन और व्यावृत्ति।

60. (1) उस तारीख से, जो केन्द्रीय सरकार, इस निमित्त नियत करे, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 निरसित हो जाएगा और उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन गठित भारतीय चिकित्सा परिषद् समाप्त हो जाएगी।

1956 का 102

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिनियम के निरसन के होते हुए भी, इसका—

(क) इस प्रकार निरसित अधिनियम के पूर्व प्रवर्तन या उसके अधीन सम्यक् रूप से की गई या सहन की गई किसी बात पर; या

(ख) इस प्रकार निरसित अधिनियम के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व पर; या

(ग) इस प्रकार निरसित अधिनियम के अधीन किसी उल्लंघन की बाबत उपगत किसी शास्ति पर; या

(घ) यथापूर्वोक्त किसी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, शास्ति के संबंध में किसी कार्रवाई या उपचार पर,

कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और ऐसी कार्यवाही या उपचार उसी प्रकार संस्थित, जारी या प्रवृत्त रखे जा सकेंगे और कोई ऐसी शास्ति वैसे ही अधिरोपित की जा सकेगी, मानो वह अधिनियम निरसित नहीं किया गया है।

(3) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के विघटन पर भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त व्यक्ति और उस परिषद् के सदस्य और किसी अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी के रूप में नियुक्त

प्रत्येक अन्य व्यक्ति तथा ऐसी समाप्ति के ठीक पहले उस रूप में पद धारण करने वाले प्रत्येक अन्य व्यक्ति अपना-अपना पद रिक्त कर देंगे तथा ऐसा अध्यक्ष और अन्य सदस्य अपनी पदावधि के या सेवा संविदा के समय पूर्व पर्यवसान के लिए तीन मास से अनधिक के वेतन और भत्तों के प्रतिकर का दावा करने का हकदार होगा:

परंतु कोई ऐसा अधिकारी या अन्य कर्मचारी, जिसे भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की समाप्ति के ठीक पहले भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् में प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त किया गया है, ऐसी समाप्ति पर, यथास्थिति, अपने मूल संवर्ग, मंत्रालय या विभाग को प्रत्यावर्तित हो जाएगा:

परंतु यह और कि कोई ऐसा अधिकारी या अन्य कर्मचारी, जिसे भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की समाप्ति के ठीक पहले भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा नियमित या संविदात्मक आधार पर नियुक्त किया गया है, ऐसी समाप्ति से ही भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् का अधिकारी या कर्मचारी नही रहेगा और भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् में उसका नियोजन तत्काल प्रभाव से समाप्त हो जाएगा:

परंतु यह भी कि भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् का ऐसा अधिकारी या कर्मचारी, अपने नियोजन के समय पूर्व पर्यवसान के लिए ऐसे प्रतिकर का हकदार होगा, जो कम से कम तीन मास का ऐसा वेतन और भत्ता होगा, जो विहित किया जाए।

(4) पूर्वोक्त अधिनियमिति के निरसन के होते हुए भी, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 के अधीन किया गया कोई आदेश, चिकित्सा व्यवसाय करने के लिए जारी कोई अनुज्ञप्ति, किया गया कोई रजिस्ट्रीकरण, नया आयुर्विज्ञान महाविद्यालय प्रारंभ करने के लिए या उच्चतर पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन या अनुदत्त प्रवेश क्षमता में वृद्धि करने के लिए, अनुदत्त आयुर्विज्ञान अर्हताओं की किसी ऐसी मान्यता के लिए कोई अनुज्ञा, जो इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को प्रवृत्त हैं, सभी प्रयोजनों के लिए उनके अवसान की तारीख तक वैसे ही प्रवृत्त बनी रहेंगी, मानो वे इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के उपबंधों के अधीन जारी या अनुदत्त की गई हैं। 1956 का 102

संक्रमणकालीन उपबंध।

61. (1) आयोग, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के, जिसके अंतर्गत उसके समनुषंगी और स्वामित्वाधीन न्यास भी हैं, हित में उत्तराधिकारी होगा और भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की सभी आस्तियां और दायित्व, आयोग को अंतरित किए गए समझे जाएंगे।

(2) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 के निरसन के होते हुए भी, शैक्षिक स्तरमान, अपेक्षाएं और भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 और उसके अधीन बनाए गए नियम और विनियम, इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन नए स्तरमान और अपेक्षाएं विनिर्दिष्ट किए जाने तक प्रवृत्त और प्रवर्तन में बने रहेंगे: 1956 का 102

परंतु निरसन के अधीन अधिनियमिति और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन शैक्षिक स्तरमान और अपेक्षाओं के संबंध में की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी और तद्नुसार वह तब तक प्रवृत्त बनी रहेगी जब तक उसे इस अधिनियम के अधीन की गई किसी बात या कार्रवाई द्वारा अधिक्रांत नहीं कर दिया जाता है।

अनुसूची

(धारा 37 **देखिए**)

भारत में के कानूनी निकाय या अन्य निकाय द्वारा अनुदत्त आयुर्विज्ञान अहर्ताओं के प्रवर्गों की सूची

क्रम सं॰	आयुर्विज्ञान अहर्ताओं के प्रवर्ग
1.	जवाहरलाल नेहरू स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी द्वारा अनुदत्त सभी आयुर्विज्ञान अर्हताएं।
2.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों द्वारा अनुदत्त सभी आयुर्विज्ञान अर्हताएं।
3.	स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ द्वारा अनुदत्त सभी आयुर्विज्ञान अर्हताएं।
4.	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बैंगलौर द्वारा अनुदत्त सभी आयुर्विज्ञान अर्हताएं।
5.	राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा अनुदत्त सभी आयुर्विज्ञान अर्हताएं।

IndiaCode